सकल प्रत्यक्ष दावा अनुभव पर टिप्पणी : (उपगत किन्तु सूचित नहीं को छोड़कर)

अग्नि, मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में बाढ़ क्षति दावा, नाथपा, झाखरी पन बिजली परियोजना, समुद्री पोत (ओएनजीसी के मुम्बई हाईवे में आग), के उपगत दावा अनुपात में वृद्धि, व्यक्तिगत दुर्घटना 160.85% और स्वास्थ्य 127.62% के परिणाम स्वरूप सकल प्रत्यक्ष उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 78.04% से बढ़कर 2005-06 में 125.08% हुआ । 2004-05 से कुल उपगत दावा अनुपात में दीख रही तेज वृद्धि को विभिन्न पोर्टफोलियो के अर्जित प्रीमियम में साथ-साथ आई गिरावट की पृष्ठ भूमि में देखा जाना चाहिए।

शुद्ध उपगत दावा :

कुल शुद्ध उपगत दावा अनुपात 2004-05 में 79.92% से बढ़कर 2005-06 में 105.49% हो गया । पिछले वर्ष की तुलना में अग्नि व्यवसाय का शुद्ध उपगत दावा अनुपात 39.90% से बढ़कर 2005-06 में 69.79%, समुद्री व्यवसाय में यह 2004-05 में 58.81% से बढ़कर 2005-06 में 82.99% और विविध व्यवसाय में 2004-05 में 87.19% से बढ़कर 2005-06 में 112.20% रहा जो मुख्य रूप से विनाशकारी दावों के कारण हुआ ।

प्रबन्धन खर्च:

बीमा अधिनियम की धारा 40(सी) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2004-05 में रु.747.47 करोड़ के बदले विधिवत समायोजन के बाद बीमित व्यवसाय के अनुपात के रूप में रु.696.11 करोड़ की अनुमत सीमा थी । वर्ष 2005-06 में कंपनी द्वारा भारत में बीमित व्यवसाय की मात्रा में कमी के कारण अनुमत सीमा भी कम हुई । उपर्युक्त अनुमत सीमा के बदले विधिवत समायोजन के पश्चात भारत में व्यवसाय प्रचालन पर उपगत वास्तविक खर्च रु. 879.67 करोड़ हुआ । कम्पनी हरसंभव प्रयास कर रही है कि खर्च को बीमा अधिनियम के अनुसार अनुमत सीमा में लाया जाय ।

कंपनी ने 2005-06 में कर के लिए प्रावधान करने से पूर्व रु.59.64 करोड़ की कर पूर्व शुद्ध हानि उपगत की जो पिछले वर्ष रु.141.21 करोड़ का कर पूर्व लाभ था । हानि के दूसरे सहयोगी कारण रहे। बीमालेखन और वेतन संशोधन के बाद बकाया भुगतान के लिए बढ़ा खर्च और पेंशन व उपदान कोष और छुट्टी भुनाने के लिए देयताओं की बढ़ी राशि ।

अग्नि और समुद्री पोर्टफोलियो में लाभ जारी रहा जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: रु.217.22 करोड़ और रु.24.93 करोड़ का आधिक्य रहा। तथापि विविध पोर्टफोलियो का निष्पादन कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से मोटर व्यवसाय में प्रतिकूल दावा अनुभव के कारण संतोषजनक नहीं रहा और विविध व्यवसाय में कुल हानि रु.357.32 करोड़ रही । रु.55 करोड़ का कर प्रावधान, जो मुख्य रूप से फ्रिंज सुविधा कर है, सहित रु.106.25 करोड़ की हानि को वर्ष 2005-06 में सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है ।

शोधन क्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की सम्पत्ति देयता तथा शोधन क्षमता) विनियम, 2000 द्वारा निर्धारित विधि से 31 मार्च 2006 को परिकलित कंपनी शोधन क्षमता 1.08 है ।

क्रिसिल रेटिंग

क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्तीय शक्ति रेटिंग के लिए कंपनी को एएए/स्टेबल रेटिंग दी गई है जिससे पालिसी धारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की सर्वाधिक वित्तीय शक्ति ज्ञात होती है ।

दान, मनोरंजन, विदेश दौरा व प्रचार :

दान, मनोरंजन और अधिकारियों द्वारा विदेश दौरे, प्रचार और विज्ञापन पर खर्च वर्ष के दौरान क्रमश: रु. शून्य (वि.व.रु.70,00,000/-), रु.7,56,408/- (वि.व.रु.10,14,924),रु.9,06,231/- (वि.व.रु. 3,03,964) और रु.4,80,37,280/- (वि.व. रु. 7,14,97,112) रहा ।

विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय :

विदेशी मुद्रा में कुल आय तथा व्यय क्रमश: रु.104.32 करोड़ और रु.96.27 करोड़ था । आय में आवक पुनर्बीमा स्वीकृति, जावक पुनर्बीमा अर्पण पर दावा वसूली तथा निधियों एवं निवेशों की आवक जमा शामिल है, जबकि व्यय में जावक पुनर्बीमा अर्पण, आवक पुनर्बीमा स्वीकृति पर दावा निष्पादन आदि शामिल है ।

निवेश:

31 मार्च, 2006 को भारत में कुल निवेश रु.4685.95 करोड़ हुआ जो 31 मार्च, 2005 को रु. 4399.32 करोड़ था । इसमें से समाजोन्मुख क्षेत्रों में, जिसमें शामिल हैं केन्द्रीय व राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, सरकारी गारंटीयुक्त बंध-पत्र, ढांचागत बंध-पत्र, आवास और अग्नि शमन उपकरणों के लिए हुडको और विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों में 31 मार्च, 2006 को रु.2784.54 करोड़ का निवेश हुआ जो 31 मार्च, 2005 को 2320.40 करोड़ था ।

COMMENTS ON GROSS CLAIM EXPERIENCE (WITHOUT IBNR) :

Gross Incurred Claim Ratio has increased from 78.04% to 125.08% in 2005-06 as a result of the increase in the incurred claim ratios of Fire, primarily due to the flood damage claims in Gujarat, Maharashtra & Tamil Nadu, damage to Nathpha Jhakri Hydel Project; Marine Hull (Fire on ONGC's Mumbai High), Personal Accident at 160.85% and Health at 127.62%. The apparent sharp increase in overall incurred claims ratio over 2004-05 should be considered in the background of the simultaneous fall in the volume of premium earned of the various portfolio.

NET INCURRED CLAIMS :

The overall Net Incurred Claims Ratio has increased from 79.92% in 2004-05 to 105.49% in 2005-06. In comparison to the last year the net incurred claim ratio of Fire business increased from 39.90% to 69.79 % in 2005-06,Marine business it increased from 58.81% in 2004-05 to 82.99% in 2005-06 and in Miscellaneous business also it increased from 87.19% in 2004-05 to 112.20 % in 2005-06, mainly due to catastrophic claims.

EXPENSES OF MANAGEMENT:

As per provisions of Section 40C of the Insurance Act, the permissible limit of Expenses, being a ratio of the business underwritten, after due adjustment, was Rs.696.11 crore as against Rs.747.47 in 2004-05. Due to fall in volume of business written in India by the Company in the year 2005-06 the permissible limit has also reduced. As against the allowable limit as aforesaid, the actual expenses incurred on business operations in India, after due adjustment, amounted to Rs.879.67 crore. The Company has been making determined efforts to contain the Expenses and to bring it within the permissible limit as per Insurance Act.

The Company has incurred a net loss before tax of Rs.59.64 crore before provision for tax in 2005-06, as against the profit before tax of Rs.141.21 crore in the preceding year. Other contributory factors towards loss, both underwriting and overall, would be increased expenses for payment of arrears on account of wage revision & increased amount of liabilities in respect of Pension & Gratuity Funds and Leave Encashment.

Fire and Marine portfolios have continued to be profitable resulting in a surplus of Rs.27.22 crore and Rs.24.93 crore respectively. However, the underwriting performances of Miscellaneous portfolio has not been satisfactory due to adverse claims experience in certain segments especially under Motor business and the total loss on account of Miscellaneous business amounted to Rs.357.32 crore. A loss of Rs.106.25 crore including tax provision of Rs.55 crore, primarily for fringe benefit tax, is transferred to General Reserve for the year 2005-06.

COMPLIANCE OF SOLVENCY MARGIN REQUIREMENTS :

The Company has the solvency margin of 1.08 as at 31st March 2006 calculated as per the method prescribed under IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations 2000.

CRISIL RATING :

The Company has been accorded "AAA/STABLE" financial strength rating by CRISIL rating agency, which reflects the highest financial strength to meet policyholders' obligations.

DONATIONS, ENTERTAINMENT, FOREIGN TOURS & PUBLICITY :

Expenses on donations, entertainment and foreign tours by officials, publicity and advertisement during the year amounted to nil (P.Y. Rs.70,00,000/-), Rs.7,56,408/- (P.Y. Rs.10,14,924/-), Rs.9,06,231/- (P.Y. Rs.3,03,964/-) and Rs.4,80,37,280/-(P.Y. Rs.7,14,97,112/-) respectively.

FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO :

The income and outgo in foreign exchange aggregated to Rs.104.32 crore and Rs.96.27 crore respectively. The income was on account of Inward Reinsurance acceptances, claims recovery on Outward Reinsurance cessions, Inward remittance of funds and investments, while outgo was due to Outward Reinsurance cessions, claim settlement on Inward Reinsurance acceptances etc.

INVESTMENT :

The total Investment in India stands at Rs.4685.95 crore as on 31st March 2006 as against Rs.4399.32 crore as on 31st March 2005. Out of this, investment in Socially Oriented Sectors which include Central and State Government Securities, Government Guaranteed Bonds, Infrastructure Bonds, Loans to HUDCO and various State Governments for Housing and Fire Fighting Equipments amount to Rs.2784.54 crore as on 31st March 2006 as against Rs.2320.40 crore as on 31st March 2005.

निवेश आय (वित्तीय/विमोचन पर लाभ सहित) विगत वर्ष में रु.685.17 करोड़ से बढ़कर 2005-06 में रु.1009.75 करोड़ हुई । इस प्रकार पिछले वर्ष में 16.69% से 2005-06 में निवेश लाभ 21.40% हो गया ।

कम्पनी ने पिछले वर्ष रु.586.98 करोड़ के बदले चालू वर्ष में रु.286.63 करोड़ का निवेश कोष में अर्जन किया । यह कमी मुख्य रूप से दावा भुगतान में अधिक राशि जाने के कारण हुई । कम्पनी ने सेकेंडरी मार्केट में सक्रिय प्रचालन जारी रखा और कम्पनी की प्रतिभूतियों की बिक्री से अर्जित लाभ पिछले वर्ष के रु.245.09 करोड़ के बदले रु.528.03 करोड़ हुआ।

ऋण तथा ऋणपत्र के वर्गीकरण और निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए प्रावधान से सम्बंधित भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण नियमों का कंपनी ने पालन किया । सकल निष्क्रिय सम्पत्ति प्रावधान 2005-06 में घटकर रु.32.32 करोड़ कम हुआ और निष्क्रिय सम्पत्ति का प्रतिशत 2004-05 के 2.32% की तुलना में चालू वर्ष में कम होकर 0.50% रहा। कंपनी ने निष्क्रिय सम्पत्ति से 2005-06 के दौरान रु.26.95 करोड़ अर्जित किए।

वर्ष के दौरान बट्टे खाते/अवलिखित निवेश रु.1.55 करोड़ था जो पिछले वर्ष रु.5.05 करोड़ था । 31 मार्च, 2006 को भारत में इक्विटी निवेश का कुल बही मूल्य रु.640.87 करोड़ था । इस बही मूल्य के बदले 31 मार्च, 2006 को इन इक्विटी निवेशों का बाजार मूल्य रु.7457.11 करोड़ रहा जिससे इसके बाजार मूल्य में 1163.59% का संवर्धन हुआ ।

पुनर्बीमा

व्यवसाय की सभी श्रेणियों में 2005-06 में सभी नवीकरण खाड़ी के मेक्सीको प्रभंजन अर्थात कटरीना, रीटा व विल्मा की तीन विनाशकारी हानियों से अपरिहार्य रुप से प्रभावित हुई जो 2005 के शरत्काल में आया । हालांकि समुद्री माल व पोत में कोई बड़ी हानि नहीं हुई किन्तु इसका प्रभाव खास करके तटीय क्षेत्र में सम्पत्ति, इंजीनियरिंग और ऊर्जा बीमा व्यवसाय पर स्पष्ट रुप से पड़ा । परिणामस्वरुप इनके सीधे प्रभाव से विश्व में सभी जगह विनाश सम्भावित क्षेत्र में पूंजीगत खर्च पर पुनर्बीमा कर्ता द्वारा अधिभार लगाया गया ।

दुर्भाग्यवश 2005-06 में भारतीय बाजार में पश्चिमी भारत में बाढ़ से हानियां हुई और सतलज जल विद्युत निगम (नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट) ओएनजीसी आदि बड़ी हानियां हुई । हालाकिं मुम्बई बाढ़ की घटना को सौ वर्ष में एक घटना के रुप में लिया जा सकता है किन्तु इसकी गहनता और तीव्रता को देखते हुए हमारे विनाशकारी एक्सएल कार्यक्रम में अधिक कठिनाई हुई ।

2005-06 में आनुपातिक ट्रीटी नवीकरण प्राकृतिक विनाशकारी आपदाओं के लिए "इवेन्ट कैप" और कमीशन स्तर कम करने के लिए कई पुनर्बीमा कर्ताओं से दबावों के कारण प्रभावित हुए । तथापि इन बाधाओं के बावजूद कम्पनी सभी ट्रीटी करने में सफल रही । हमने 2005-06 में एक नयी उड्डयन ट्रीटी का प्रबन्ध किया है जिससे तेजी से विकसित उड्डयन क्षेत्र को बीमा दिया जाय जो बाजार में काफी सक्रिय है तथा प्राय: सभी एयरलाइनें अपने जहाज बढ़ा रही हैं तथा कारपोरेट हाउस अपने जहाज कर रहे हैं। हमने अग्नि और माल बीमा में ट्रीटी सीमा बढ़ाई है । जिससे स्वत : क्षमता विकसित हो ।

वैश्विक हानि परिदृश्य के बावजूद कम्पनी अपने गैर आनुपातिक कार्यक्रम में राज्यवार विनाशकारी हानि आंकड़े देते हुए दर में महत्वपूर्ण कमी करा सकी और अपनी व्यवसाय वृद्धि और जोखिमों का तुलनामूलक दरों और नियमों के अनुसार प्रत्येक पोर्टफोलियो में बढ़ी हुई संरक्षण सीमा ले सकी । हमने अपने समुद्र पारीय आवक स्वीकृत पोर्टफोलियो से शुद्ध संचय को संरक्षण देने के लिए पर्याप्त एक्सएल सुरक्षा ली है ।

अभूतपूर्व हानियों के बावजूद हमारा पुनर्बीमा कार्यक्रम पर्याप्त से भी अधिक पाया गया क्योंकि सभी व्यवसाय में हमें वसूली मिली इस प्रकार सीधी हानि कम हुई । उचित दरों पर उपयुक्त पुनर्बीमा सुरक्षा के परिणामस्वरुप कम्पनी में हमारा शुद्ध धारित प्रीमियम 2004-05 में 74.73 % से बढ़ कर 2005-06 में 75.86% हुआ ।

Investment Income (inclusive of profit on sale/ redemption) has increased substantially to Rs.1009.75 crore in 2005-06 from Rs.685.17 crore in the previous year. The corresponding yield on Investment for 2005-06 is 21.40% as against 16.69% in the previous year.

The Company has generated an accretion of Investment Fund to the tune of Rs.286.63 crore in the current year as against Rs.586.98 crore in the previous year. The decrease is mainly due to greater outflow for claims payment. The Company continued to operate actively in the Secondary Market and the profit earned on the sale of securities of the Company has been Rs.528.03 crore as against last year's figure of Rs.245.09 crore.

The Company has followed the RBI Prudential Norms relating to classification of Loans and Debentures and provision for Non Performing Assets (NPA) as applicable to the Financial Institutions. The total provision for NPA has decreased by Rs.32.32 crore in 2005-06 and the net NPA percentage has come down to 0.50% in the current year as compared to 2.32% in 2004-05. The Company has recovered Rs.26.95 crore from NPA during the year 2005-06.

Investment written off/down during the year was Rs.1.55 crore as against the last year's figure of Rs.5.05 crore. The aggregate book value in Equity Investment in India as at 31st March 2006 amount to Rs.640.87 crore. As against the Book Value, the Market Value of these Equity Shares stood at Rs.7457.11 crore as on 31st March 2006, showing an appreciation of 1163.59%.

REINSURANCE :

Across all classes of business, 2005-2006 renewals were inevitably influenced by the three major catastrophic losses in Gulf of Mexico Hurricanes i.e Katrina, Rita & Wilma which struck in autumn 2005. Whilst the resulting losses were not so significant for Marine Cargo or Hull business, they were clearly of market-changing proportions in Property, Engineering and Energy insurance business, especially offshore. In turn, these had a profound impact on the loadings applied by reinsurers for the cost of capital, applied in catastrophe-exposed sectors everywhere in the world.

Unfortunately in 2005-2006, Indian market was exposed to losses due to floods in the western part of India and some major risk losses like Sutlej Jal Vidyut Nigam (Nathpa Jhakri Project), ONGC etc. Though, the Mumbai Flood incident can be termed as a 'one in hundred year event', given the intensity and magnitude of the catastrophe, our Catastrophe XL programme was severely strained.

During 2005-2006, the proportional treaty renewals, have been constrained due to pressure from many reinsurers for an 'event cap' for natural catastrophic perils and reducing commission levels. However, the Company has been able to successfully place all the treaties despite these constraints. We have also arranged a new Aviation treaty in 2005-2006, to tap the rapidly growing aviation sector, which is seeing lot of activity in the market with almost all the airlines going for massive fleet expansion and corporate houses having their own fleet. We have also increased our treaty limits in Fire and Cargo portfolios for developing in-house automatic capacity.

Despite the global loss scenario, the Company has been able to negotiate substantial rate reductions in our Non Proportional programme, by furnishing State-wise Catastrophe exposure figures and have been able to purchase increased limits of protection in each port-folio in consonance with our business growth and exposures at competitive rates and terms. We have also bought adequate XL protection to cover the net accumulation from our overseas inward acceptance portfolio.

Despite the unprecedented colossal losses suffered, the cover limits of our reinsurance programme proved to be more than adequate, entailing recoveries under all classes of business, thereby minimizing our direct losses. Consequent to arranging suitable reinsurance protection at optimum rates, our Net retained premium within the Company has gone up from 74.73% in 2004-2005 to 75.86% in 2005-2006.

तात्कालिक उपलब्धियां

2005-06 में दूसरी उपलब्धियों के साथ-साथ कम्पनी ने अग्रणी बीमा कर्ता के रुप में निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त की -

- ✓ आईओसी (एविएशन रीफ्यूलिंग देयता)
- ✓ जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (पोर्ट पैकेज पालिसी)
- ✓ स्पाइस जेट (उड्डयन)
- ✓ ए आर एयरवेज (उड्डयन)
- ✓ सहारा हेलीकाप्टर(उड्डयन)
- ✓ ओएनजीसी (उड्डयन)
- ✓ जेगसन्स ((उड्डयन) अड्डा)
- ✓ नेशनल एयरो स्पेस लेबोरेटरी(उड्डयन)
- ✓ एमफेसीस (अपराध देयता)
- ✓ एचसीएल (अपराध देयता)
- ✓ जीएमआर (एक्सप्रेसवे-प्रोजेक्ट पालिसी)
- ✓ सत्यम कम्प्यूटर (सीजीएल)
- ✓ ओएनजीसी (आनशोर पैकेज)
- ✓ जीएमआर (आईएआर पालिसी-दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई

कम्पनी निम्नलिखित के लिए बीमा सुरक्षा का प्रबन्ध करने में सम्बद्ध होने के लिए गौरव अनुभव करती है-

1. इन्फोसिस
2. एयर इंडिया
3. इंडियन एयरलाइन्स
4. श्रावणबेलगोला तीर्थ के लिए संरक्षण

विदेश व्यवसाय

कम्पनी की नेपाल तथा हांगकांग मे दो शाखाएं हैं-

नेपाल :

हमारे नेपाल प्रचालन का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम रु. 12.67 करोड़ है । प्रचालन आधिक्य रु.1.61 करोड़ है, उपगत दावा अनुपात 43.96 % है और प्रबन्धन खर्च अनुपात 14.36 % है । वर्ष 2005-06 में नेपाल में जनकपुर और हतौदा में दो बीमासेवा केन्द्र खोले गये । स्थानीय बाजार में कम्पनी की पालिसियों के बारे में जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए हमारे नेपाल कार्यालय ने नया वेबसाइट www.nationalinsurancenepal.com खोला है ।

हांगकांग :

जैसा पहले सूचित किया गया है हांगकांग शाखा ने 18 फरवरी 2002 से नया व्यवसाय स्वीकार करना बन्द कर दिया । तथापि हांगकांग कार्यालय विद्यमान पालिसियों और दावों की सेवा जारी रखे है तथा रन आफ पोर्टफोलियो के लिए पर्याप्त पुनर्बीमा समर्थन है । 2005-06 के दौरान पुनर्बीमा कर्ताओं से एच के $ 210 लाख की वसूली हुई । यहाँ यह कहना जरूरी है की मामलों के शीघ्र निपटान से एच के $ 388.1 लाख के कानूनी खर्च की बचत हुई ।

2005-06 में नेपाल शाखा में प्रचालन आधिक्य रु. 1.61 करोड़ और हांगकांग कार्यालय में रु.21.73 करोड़ है ।

विदेशी शाखा परिणाम :

(रु. करोड़ में)

	नेपाल		हांगकांग		योग	
	2005-06	2004-05	**2005-06**	2004-05	**2005-06**	2004-05
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	**12.67**	10.72	**0**	0.02	**12.67**	10.74
शुद्ध प्रीमियम	**8.86**	8.72	**0.76**	0.02	**9.62**	8.74
शुद्ध उपगत दावा	**5.57**	4.91	**-21.05**	-42.65	**-15.48**	- 37.74
शुद्ध कमीशन	**0.85**	0.94	**0**	0	**0.85**	0.94
प्रबन्धन खर्च	**1.82**	2.81	**1.12**	1.23	**2.94**	4.04
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में कमी/वृद्धि	**0.07**	1.88	**0.37**	6.01	**0.44**	7.89
निवेश तथा अन्य आय	**1.05**	1.54	**0.74**	0.04	**1.79**	1.58
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	**0.01**	0.41	**0.67**	-0.89	**0.68**	- 0.48
शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	**1.61**	0.13	**21.73**	34.58	**23.34**	34.71

RECENT ACHIEVEMENTS :

Among other achievements during 2005-06, the Company has successfully secured, as Lead Insurer, the following prestigious accounts -

- ✓ IOC (Aviation Refuelling Liability)
- ✓ Jawharlal Nehru Port Trust (Port Package Policy)
- ✓ Spice Jet (Aviation)
- ✓ A. R. Airways (Aviation)
- ✓ Sahara Helicopters (Aviation)
- ✓ ONGC (Aviation)
- ✓ National Aerospace Laboratory (Aviation)
- ✓ Mphasis (Crime Liability)
- ✓ HCL (Crime Liability)
- ✓ GMR (Expressway - Project Policy)
- ✓ Satyam Computers (CGL)
- ✓ ONGC (Onshore Package)
- ✓ GMR (IAR Policy -Delhi International Airport)
- ✓ Jagsons (Aviation)

The Company is also proud to be associated with arranging insurance protection for

1) Infosys
2) Air India
3) Indian Airlines
4) Cover for Shravanabelgola Pilgrims

FOREIGN BUSINESS:

The Company has 2 Branches namely Nepal and Hong Kong —

Nepal :

The Gross Direct Premium of our Nepal operation is Rs.12.67 crore. Operating Surplus is Rs.1.61 crore, Incurred Claim Ratio is 43.96% and Expenses of Management ratio is 14.36%. In the year 2005-06 two Beema Sewa Kendras were opened in Janakpur and Hetauda in Nepal. Our Kathmandu office has launched a new website www.nationalinsurancenepal.com to create mass awareness of the Company's products in the local market.

Hong Kong :

As reported earlier, Hong Kong Branch stopped accepting new business w.e.f. 18th February 2002. However, Hong Kong office is continuing the servicing of existing policies and claims and adequate reinsurance support has been arranged for the Run-off portfolio. During the year 2005-06 the recoveries from Re-insurers is HK $ 21 million. It is pertinent to mention here that expeditous settlement of cases resulted in saving on legal expenses of HK $ 38.81 million.

The operating surplus for Nepal Branch in 2005-06 is Rs.1.61 crore and for Hong Kong office Rs.21.73

FOREIGN BRANCH RESULTS :

(Rs. In crore)

	NEPAL		HONGKONG		TOTAL	
	2005-06	2004-05	**2005-06**	2004-05	**2005-06**	2004-05
Gross Direct Premium	**12.67**	10.72	**0**	0.02	**12.67**	10.74
Net Premium	**8.86**	8.72	**0.76**	0.02	**9.62**	8.74
Net Incurred Claims	**5.57**	4.91	**-21.05**	-42.65	**-15.48**	- 37.74
Net Commission	**0.85**	0.94	**0**	0	**0.85**	0.94
Expenses of Management	**1.82**	2.81	**1.12**	1.23	**2.94**	4.04
Decrease/Increase in reserve for unexpired risks	**0.07**	1.88	**0.37**	6.01	**0.44**	7.89
Investment and other Income	**1.05**	1.54	**0.74**	0.04	**1.79**	1.58
Foreign Exchange Gain/Loss	**0.01**	0.41	**0.67**	-0.89	**0.68**	- 0.48
Net Profit (+)/Loss (-)	**1.61**	0.13	**21.73**	34.58	**23.34**	34.71

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय:

2005-06 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में रु. 275.04 करोड़ का सकल प्रीमियम लिखा गया । ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की बाध्यता और उपलब्धि के आँकड़े निम्नलिखित हैं-

वर्ष	भारत में लिखित कुल सकल प्रीमियम रु.लाख में	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित पालिसियां (संख्या)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित सकल प्रीमियम रु.लाख में	कुल जीडी पीआई से ग्रामीण व्यवसाय का% (4/2x100)	क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हाँ/नहीं)	सामाजिक क्षेत्र में संरक्षित जीवन की संख्या	क्या सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8
2005-06	352367.31	1356991	27504.41	7.81	हाँ	130279	हाँ

रणनीतिक गठबन्धन विभाग की गतिविधियां:

रणनीतिक गठबन्धन व्यवसाय 2001 में अपने शुरुआत से ही तेजी से वृद्धि कर रहा है और 31 मार्च 2006 को जीडीपीआई का 22% है । कम्पनी ने 23 बैंकएश्योरेन्स गठबन्धन तथा 10 दूसरे बड़े गठबन्धन किए जिनमें अग्रणी निर्माता एनबीएफसी और एनजीओ शामिल हैं और इससे 2005-06 में रु.750 करोड़ का प्रीमियम मिला और रु. 138 करोड़ की अभिवृद्धि हुई जो पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त प्रीमियम रु.612 करोड़ पर 23% की वृद्धि है ।

ग्रामीण क्षेत्र में बाजार तक पहुँच बढ़ाने के लिए कंपनी ने किसान ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलखनंदा ग्रामीण बैंक, नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय बैंक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक और भीलवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न क्षेत्रीय बैंकों से गठबंधन किया है ।

रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली में स्ट्रेटेजिक एलायंस मैनुफैक्चरर्स सेल (सैम-सी) और मुम्बई में स्ट्रेटेजिक एलायंस फिनांसियल इंस्टीट्यूशन सेल (साफी-सी) का गठन किया गया है और इस पुनर्गठन से अच्छा लाभांश आना शुरू हो गया है । तीन और साफी-सी जैसे सेल बेंगलूर, जयपुर और कोलकाता में बनाए जा रहे हैं जो बड़े बैंक एश्योरेन्स भागीदारों को सेवा देंगे ।

2006-07 में सभी गठबंधनों से प्राप्त कुल व्यवसाय 36% की दर से बढ़कर रु.1070 करोड़ का बजट है जिसके लिए एकीकृत प्रयास हो रहे हैं ।

प्रचार:

इस वर्ष इलेक्ट्रानिक (राष्ट्रीय स्तर टीवी और एफएम रेडियो चैनल) और प्रिन्ट मीडिया पर ज्यादा जोर रहा। हमारे विज्ञापनों के प्रसार के लिए आउट डोर मीडिया जैसे अन्य माध्यमों का भी प्रयोग किया गया । विभिन्न श्रेणी के कार्यक्रमों को प्रायोजित भी किया गया ।

इलेक्ट्रानिक मीडिया

दूरदर्शन : इस माध्यम से निम्नलिखित के दौरान हमारे कुछ प्रमुख विज्ञापन दिखाये गए -

अ) जी खेल चैनल पर सीधे प्रसारण के दौरान राष्ट्रीय फुटबाल लीग का एशोसिएट प्रायोजन । दूसरे सहवर्ती प्रायोजनों में शामिल हैं कोलकाता, गोवा, मुम्बई और लुधियाना में सभी स्थानों पर रेफरी जर्सी की ब्रांडिंग और पेरीमीटर बोर्ड का प्रदर्शन ।

ब) नवम्बर 2005 में दूरदर्शन पर भारत - दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के सीधे प्रसारण के दौरान ऑन-स्क्रीन क्रालर्स का प्रदर्शन ।

स) बजट 2006- एनडीटीवी 24x7, एनडीटीवी प्राफिट, आजतक और हेडलाइन्स टुडे पर केन्द्रीय बजट और रेल बजट का का विश्लेषण ।

रेडियो : मुम्बई मैराथन 2006 की स्टेजिंग के दौरान रेडियो मिर्ची फिट एन फाइन कार्यक्रम - एक माह का फिटनेस कैप्सूल का एशोसिएट प्रायोजन ।

इलेक्ट्रानिक मीडिया में ब्रान्ड नेम स्थापित करने के प्रयास में चुनिन्दा प्रिन्ट माध्यमों का भी उपयोग किया गया । शताब्दी वर्ष की शुरूआत पर 6 दिसम्बर 2006 को अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों में **मना रहे हैं विश्वास के 100 वर्ष** शीर्षक से विज्ञापन दिये गये इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर सभी अग्रणी पत्रिकाओं जैसे रीडर्स डाइजेस्ट, इंडिया टुडे, आउट लुक, फ्रन्ट लाइन, बिजनेस लाइन आन बिजनेस वर्ल्ड में **मना रहे हैं चिन्ता से मुक्ति सुनिश्चित कराने के 100 वर्ष** का विज्ञापन निकाला गया । वित्त विधेयक 2006 के प्रकाशन के दिन इकोनामिक टाइम्स और हिन्दू बिजनेस लाइन में स्ट्रिप विज्ञापन दिया गया । राष्ट्रीय विमानन कंपनी इंडियन एयर लाइन्स की उड़ान की पत्रिका **स्वागत** के रजत जयंती अंक में भी एक विज्ञापन दिया गया ।

नई बैंक एश्योरेन्स पालिसियों - विजया बैंक के साथ वी-आरोग्य तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बड़ौदा स्वास्थ्य की घोषणा के लिए प्रिन्ट माध्यमों में अलग से अभियान चलाया गया ।

हमारे अभी हाल के आउटडोर विज्ञापनों में हैं कोलकाता रेस-कोर्स के सामने ट्रैफिक गंतरी की ब्रांडिंग और जीवन भारती, नई दिल्ली के पास पब्लिक यूटिलिटी । कोलकाता जमशेदपुर के बीच

RURAL & SOCIAL SECTOR BUSINESS :

During the year 2005-06, the Gross Premium underwritten in Rural areas amounted to Rs.275.04 crore.

The statistics in respect of Rural and Social Sector obligations and achievements are furnished below -

Year	Total Gross Premium under-written in India Rs. in lac	Policies u/w in rural areas (In nos.)	Gross Premium u/w in Rural Areas (Rs. in lac)	% of Rural Business to total GDPI (4/2x100)	Whether Rural Sector stipulations met (Yes/No)	No. of lives covered in Social Sector	Whether Social Sector stipulations met (Yes/No)
1	2	3	4	5	6	7	8
2005-06	352367.31	1356991	27504.41	7.81	YES	130279	YES

ACTIVITIES OF STRATEGIC ALLIANCES DEPARTMENT :

The Strategic Alliances business since its inception in 2001 has been growing rapidly and as on 31st March 2006 has contributed 22% to the GDPI. The Company has 23 Bancassurance tie-ups and 10 other major tie-ups, which include leading manufacturers, NBFCs and NGOs, which have generated premium of Rs.750 crore in 2005-06, with an accretion of Rs.138 crore, being an increase of 23% over Rs.612 crore premium generated in the previous fiscal.

In order to improve market reach in the rural sector, the Company has proactively tied-up with various Regional Banks including Kisan Gramin Bank, Rajasthan Gramin Bank, Alaknanda Gramin Bank, Nainital Almora Kshetriya Bank, Jaipur Thar Gramin Bank, Mewar Anchalik Gramin Bank and Bhilwara Kshetriya Gramin Bank.

The Strategic Alliances business process has been further streamlined by establishing Strategic Alliances Manufacturers' Cell (SAM-C) at Delhi and Strategic Alliances Financial Institutions Cell (SAFI-C) at Mumbai which restructuring has already started yielding rich dividends. Three more SAFI-C like Cells are being set up at Bangalore, Jaipur and Kolkata which would service major Bancassurance partners.

The total business from all alliances is budgeted to grow at the rate of 36% to Rs 1070 crore in 2006-07 and concerted efforts are being made in this direction.

PUBLICITY :

The major thrust area this year has been the Electronic (National level TV and FM Radio channels) and Print media. Other medium for dissemination of our advertisement message like the outdoor media was also used. There was also sponsorship of events for various categories.

Electronic Media

Television - Some of the major campaign in this media were by the telecast of our commercials during

a) Associate Sponsorships of the National Football League 2006 during live telecast on Zee Sports Channel. Other sponsorships collaterals included exclusive branding of the referee jersey and display of perimeter boards at all venues in Kolkata, Goa Mumbai and Ludhiana.
b) Display of on-screen crawlers during the live telecast of India - South Africa One Day International Match in November 2005 on Doordarshan.
c) Budget 2006 - Analysis of Union Budget and Railway Budget on NDTV 24x7, NDTV Profit Aaj Tak and Headlines Today.

Radio - Associate Sponsorship of Radio Mirchi Fit'n'Fine programme - a month long fitness capsule - during the staging of the Mumbai Marathon 2006.

The Print Media was also utilized selectively to support the brand name building efforts in the electronic media. An advertisement was inserted in all india newspapers on 6th December 2006 to commemorate the beginning of our centenary year titled " Celebrating 100 years of trust ……" This was followed by a subsequent campaign All India titled "Celebrating 100 years of Ensuring Freedom ….."in leading magazine like Readers Digest, India Today, Outlook, Frontline, Business Line on Business World. We also inserted strip advertisements in Economic Times and Hindu Business Line on the day of the publication of the Finance bill 2006. An advertisement was also inserted on the silver jubilee commemorative issue of SWAGAT, the in-flight magazine of the national carrier Indian Airlines.

Separate print campaigns were also launched to announce the new banc-assurance products - V-Arogya in association with Vijaya Bank and Baroda Health in association with Bank of Baroda.

टाटा इस्पात एक्सप्रेस के डिब्बों में हमारी कंपनी के विज्ञापन पैनल प्रदर्शित किये गये ।

पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख आयोजन जिनसे नेशनल जुड़ा रहा हैं - ग्लोबल स्टील सम्मेलन 2006 गोवा, एसोवा - पेसिफिक जूरिष्ट एशोसिएशन नई दिल्ली का पर्यावरण सम्मेलन, दी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो-वैसकुलर डिसीज चैन्नई द्वारा हृदय रागम 2006, इंडियन कांग्रेस आन क्वालिटी, स्कोप नई दिल्ली में पर्यावरण और उर्जा, नागपुर में भारत-इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट मैच, चैम्पियन्स ट्राफी हाकी टूर्नामेंट चैन्नई । हमने विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कामर्स जैसे बंगाल चैम्बर आफ कामर्स, इंडियन मर्चेन्ट चैम्बर मुम्बई और अन्य जैसे मुम्बई में एनआईए-एशिया इंश्योरेन्स पोस्ट इंश्योरेन्स कानक्लेव और हीरो होन्डा माइन्ड माइन समिट नई दिल्ली को प्रायोजित किया । लोक सेवा कार्यक्रमों जैसे कोलकाता पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैली, कोलकाता में अग्नि शमन सप्ताह 2005 को प्रायोजित किया गया । राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मूवी क्रान्तिकाल और कोलकाता फिल्म उत्सव 2005 को भी नेशनल ने प्रायोजित किया । कोलकाता, लुधियाना, गुवाहाटी आदि विभिन्न शहरों में मारूति कार मालिकों के लिए मारूति मेगा सर्विस कैम्पों में बीमा जागरूकता स्टाल लगाकर हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों ने भाग लिया ।

ग्राहक सेवा :

कम्पनी का निरंतर प्रयास रहा है कि वह अपने ग्राहकों को संतोषजनक सेवा प्रदान करे । कम्पनी का कागजात निष्पादन अनुपात 2004-05 के 99.56% से सुधरकर 2005-06 के दौरान 99.70% रहा ।

टीएसी जोनवार ग्राहक/लोक शिकायत पर समीक्षा बैठक और कार्यशालाएं की गई और निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए सभी ग्राहक सेवा गतिविधियों की कार्ययोजना लागू की गई -

- ग्राहक पहुँच/संप्रेषण में सुधार
- ग्राहक संवेदनशीलता में सुधार
- शिकायत निपटान व्यवस्था में सुधार

बाजार में उभर रही चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक ग्राहक केन्द्रित होने के लिए कंपनी ने कदम उठाएं हैं । **कारबार आधारित** से **संबंध आधारित** के रूप में ग्राहक प्रबन्धन रणनीति में परिवर्तन हुआ है । विद्यमान में ग्राहक सेवा विभाग को ग्राहक संबंध प्रबन्धन विभाग में बदलने के लिए कंपनी संगठनात्मक ढ़ाचे को ठीक करने की प्रक्रिया में है । इसके अनुसार अधिकारियों, कर्मचारियों और मध्यस्थों की भूमिका के संबंध में यथोचित परिवर्तन लागू किया जा रहा है । कंपनी के वेबसाईट में विवरणिका और ग्राहकों को बातचीत की सुविधा देने के अलावा हमारी योजना है कि ग्राहकों को आन-लाईन प्रश्न पुछने की सुविधा, आईवीआरएस और काल-सेन्टर सर्विस प्रदान की जाय ।

बेहतर निष्पादन करने के लिए ग्राहक सेवा संकेतकों की निरंतर समीक्षा करता रहा है । दावा निष्पादन, दस्तावेज प्रलेखन, बकाया दावा तथा शिकायत निपटान सम्बंधी आंकड़े नीचे दिए हैं:

i) शिकायत निष्पादन

01.04.2005 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2005-06 में सूचित शिकायतों की संख्या	2005-06 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	01.04.2006 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2005-06 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)	2004-05 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)
494	**1133**	**1439**	**188**	**88.44**	**84.80**

ii) दस्तावेज प्रलेखन :

01.04.2005 को लम्बित कागजात की संख्या	2005-06 में प्रारम्भ किए गए कागजातों की संख्या	2005-06 में जारी कागजातों की संख्या	01.04.2006 को लम्बित कागजातों की संख्या	2005-06 में कागजात प्रलेखन का अनुपात (%)	2004-05 में कागजात प्रलेखन का अनुपात (%)
59126	**13484190**	**13502974**	**40342**	**99.70**	**99.56**

iii) दावा निपटान- :

01.04.2005 को लम्बित दावों की संख्या	2005-06 में सूचित दावा की संख्या	2005-06 में निपटान किए गए दावों की संख्या	01.04.2006 को लम्बित दावों की संख्या	2005-06 में दावा निपटान का अनुपात (%)	2004-05 में दावा निपटान का अनुपात (%)
416258	**813143**	**780424**	**448977**	**63.48**	**70.00**

Our most recent visible outdoor advertising ventures has been the branding of a traffic gantry opposite the Kolkata Race Course and a Public Utility near Jeevan Bharati, New Delhi. The TATA Steel Express between Kolkata and Jamshedpur has also displayed several in-coach advertisement panels of our company.

Some of the major events NIC has been associated with during the last year are namely Global Steel Conference 2006, Goa, Environment Conference of the Asia Pacific Jurist Association, New Delhi Hridya Ragam 2006 by The Institute of Cardio-Vascular Diseases, Chennai, Indian Congress on Quality, Environment and Energy at SCOPE, New Delhi, India - England Cricket Test Match, Nagpur,Champions Trophy Hockey Tournament, Chennai. We have also sponsored several seminars and conferences by various chambers of commerce like Bengal Chamber of Commerce, Indian Merchants Chamber, Mumbai and other including NIA - Asia Insurance Post Insurance Conclave at Mumbai and Hero Honda Mindmine Summit, New Delhi. Public service events like International Drug Rally by Kolkata Police and Fire Service Week 2005 at Kolkata were also sponsored National Insurance also sponsored the premier of Krantikaal - a National award winning movie as also the Kolkata Film Festival 2005. Our Regional Offices have also participated in Maruti Mega Service Camps for Maruti car owners in various cities like Kolkata, Ludhiana, Guwahati etc. putting up stalls for insurance awareness.

CUSTOMER SERVICE :

It has been the constant endeavour of the Company to provide satisfactory service to clients. The documents clearance ratio for the Company has improved to 99.70% in 2005-2006 against 99.56% during 2004-2005.

Review meetings and workshops on customer/public grievances on TAC Zone basis were conducted and Action Plans of all the customer service activities have been implemented with particular emphasis on the following areas:-

- Improvement in Customer access/communication
- Improvement in Customer sensitivity
- Improvement in Grievance handling mechanism

To meet the emerging challenges in the market, the Company initiated steps to become more customer focused. There has been a shift in customer management strategy from 'Transaction Based' to 'Relationship Based'. The Company is in the process of revamping the organizational structure of existing Customer Service Department (CSD) to make it Customer Relationship Management Department (CRMD). In line with this evolving profile appropriate changes in the respective roles of officers, employees and intermediaries are being effected. In addition to offering interactive facilities to the customers and prospects in the Company's Website, there are plans to provide on line query facility, IVRS and Call Centre Services to the customers.

Customer service indicators are being constantly reviewed for achieving better performance. Data on claim settlement, documentation, outstanding claims & grievance redressal is given below :-

i) Redressal of Grievances :

No. of grievances outstanding as at 01.04.2005	No. of grievances reported during 2005-06	No. of grievances redressed during 2005-06	No. of grievances outstanding as on 31.03.2006	Grievance Redressal ratio (%) during 2005-06	Grievance Redressal ratio (%) during 2004-05
494	**1133**	**1439**	**188**	**88.44**	**84.80**

ii) Issuance of documents :

No. of documents pending as on 01.04.2005	No. of documents incepted during 2005-06	No. of documents issued during 2005-06	No. of documents pending as at 31.03.2006	Documentation ratio (%) during 2005-06	Documentation ratio (%) during 2004-05
59126	**13484190**	**13502974**	**40342**	**99.70**	**99.56**

iii) Claim settlement :

No. of claims outstanding as at 01.04.2005	No. of claims intimated during 2005-06	No. of claims settled during 2005-06	No. of claims outstanding as at 31.03.2006	Claims settlement ratio (%) during 2005-06	Claims settlement ratio (%) during 2004-05
416258	**813143**	**780424**	**448977**	**63.48**	**70.00**

31 मार्च 2006 को लम्बित दावों का समयवार विश्लेषण-

लम्बित समय	वाद दावे	गैरवाद दावे	योग
3 माह से कम	27632	65025	92657
3 से 6 माह तक	16482	20590	37072
6 माह से 1 वर्ष तक	36906	26654	63560
1 से 3 वर्ष तक	96350	28991	125341
3 वर्ष से आधिक	122111	8236	130347
योग	**299481**	**149496**	**448977**

मोटर तृतीय पक्ष दावे-

पिछले वर्ष बकाया दावों के प्रावधान में सुधार के लिए तृतीय पक्ष दावों को सीमित करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को जारी रखते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित रहा । I) बीमालेखन और सेवाकर्ता कार्यालयों के अनुसार बकाया दावों का पुनर्मिलान ii) जेनिसिस सिस्टम में डाटा की प्रविष्टियां करना iii) मामलों की प्रभावी मानीटरिंग और iv) प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय और मंडल कार्यालय के बीच निरंतर सूचना का आदान-प्रदान । बाद में सूचित दावों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बकाया मामलों की कुल संख्या बढ़ने के कारण बकाया प्रावधान में अत्यधिक वृद्धि हुई ।

चूंकि प्रीमियम कम मिला और पिछले वर्षों में जारी पालिसियों के लिए मामले इस वर्ष अधिक दर्ज हुए इसलिए बिना आईबीएनआर के उपगत दावा अनुपात 2004-05 में 188% से बढ़कर इस वर्ष 281% हो गया जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय पक्ष प्रचालन हानि में वृद्धि हुई । यह इसलिए हुआ क्योंकि तृतीय पक्ष दावों के निपटान में तीन से चार वर्ष लगते हैं और नये फाइल मामलों की संख्या सहित प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या बढ़ती है क्योंकि इसमें कानूनी प्रक्रिया भी शामिल है ।

इस वर्ष टीपी दावों के प्रबंधन की कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और प्रत्येक मंडल कार्यालय के लिए उचित मामले में समझौता निपटान का लक्ष्य तय हुआ है और बैठक/कार्यशाला आदि के द्वारा इसकी प्रगति की गहन समीक्षा होती है । न्यायाधिकरण और ऊंचे न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा की गई और जिन मामलों में कंपनी का पक्ष सीमित है उन्हें चिन्हित किया गया है । इन मामलों की तैयार सूचियां समय-समय पर लोक अदालतों और दूसरे वैकल्पिक मंचों पर पेश की जाती हैं जिनपर न्यायाधीशों, कानूनी सहायता समितियों आदि से बात-चीत की जाती है । दावा-कर्ता के वकील से बात-चीत के प्रयास भी किये गये । इसके परिणाम-स्वरूप न्यायाधिकरणों और वैकल्पिक मंचों के माध्यम से निपटाये गये दावों की संख्या पिछले वर्ष से कहीं अधिक है और दावा निपटान अनुपात पिछले वर्ष के 20.56% से बढ़कर इस वर्ष 23.02% रहा ।

हमारा प्रस्ताव है कि हम इन प्रयासों को जारी रखें और वैकल्पिक मंच और न्यायाधिकरण दोनों में मोटर टीपी मामलों के त्वरित निपटान पर अधिक जोर दें जिससे दावा निपटान अनुपात ज्यादा बढ़े ।

सांख्यकीय सूचना नीचे दी जा रही है -

विभिन्न मंचों के माध्यम से मोटर तृतीय पक्ष समझौता मामलों का विवरण

मंच	निपटान किए गए दावों की संख्या					निपटान की गई राशि				
	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
लोक अदालत	19333	15163	18357	18805	15118	13630	10059	7744	9423	10478
जल्दराहतयोजना	137	73	78	174	183	97	82	67	116	153
डीआईसीसी/ आरआईसीसी	482	387	491	223	99	476	274	527	238	117
समझौता मंच	2129	1297	970	1911	1703	1750	750	554	1014	157
योग	**22081**	**16920**	**19896**	**21113**	**17103**	**15953**	**11165**	**8892**	**10791**	**10905**

एमएसीटी अवार्ड के माध्यम से मोटर तृतीय पक्ष समझौता मामलों का विवरण

एमएसीटी (न्यायाधिकरण)	67485	53312	46718	26718	27922	78985	70686	58488	30571	27204
कुल योग	**89566**	**70232**	**66614**	**47831**	**45025**	**94938**	**81851**	**67380**	**41362**	**38109**

iv) Agewise analysis of outstanding claims as at 31st March 2006 :

Pending for	Suit claims	Non-suit claims	Total
Less than 3 months	27632	65025	92657
3 to 6 months	16482	20590	37072
6 months to 1 year	36906	26654	63560
1 to 3 years	96350	28991	125341
More than 3 years	122111	8236	130347
Total	**299481**	**149496**	**448977**

MOTOR TP CLAIMS :

In continuation of the process started last year to contain TP claims for improving the provisioning for outstanding claims, focus was mainly on following areas - i) reconciliation of outstanding claims, as per underwriting and servicing Offices, ii) streamlining entries of data in Genysis system, iii) effective monitoring of cases and iv) continuous exchange of communications among HO, ROs and DOs. There has been a substantial increase in outstanding provision mainly due to increase in total number of outstanding cases consequent to substantial increase in claims reported.

Since the premium has come down, while number of cases lodged this year under policies issued in earlier years continued to flow in, 'Incurred Claims Ratio' without IBNR has increased from 188% in 2004-05 to 281% this year and consequent increase in TP operating losses. This has happened because settlement of T.P. Claims takes at least three to four years and number of cases including the new ones filed, accumulate every year because of legal procedures involved.

For effective implementation of the Action Plan for management of TP claims this year, targets of compromised settlements have been drawn up on fit cases for each RO and in turn for each DO, and the progress of the same are closely monitored by organizing Meetings/Workshops, etc. Cases pending in Tribunals and higher Courts were reviewed and cases where Company's grounds for contest were very limited also identified. 'Ready Lists' of such cases were then periodically put up before 'Lok Adalats' and other alternate fora, complemented by greater interactions with Judges, Legal Aid Committees, etc. Efforts were also made to interact with claimants' advocates. As a result, the number of claims settled through alternate fora, as well as through Tribunals have risen significantly over last year, and the claims settlement ratio has improved substantially from 20.56% last year to 23.02% this year

We propose to continue with the initiatives and lay greater emphasis on quick settlement of Motor TP cases in both alternate fora and Tribunals and significantly increase the claim settlement ratio.

The statistical information is furnished below —

Statement of Motor TP Cases Compromised through Various Fora										
Forum	**No. of Claims settled**					**Amount settled (Rs. lac)**				
	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
Lok-adalat	19333	15163	18357	18805	15118	13630	10059	7744	9423	10478
JRY	137	73	78	174	183	97	82	67	116	153
DICC/RICC	482	387	491	223	99	476	274	527	238	117
Conciliatory Forum	2129	1297	970	1911	1703	1750	750	554	1014	157
Total	**22081**	**16920**	**19896**	**21113**	**17103**	**15953**	**11165**	**8892**	**10791**	**10905**

Statement of Motor TP Cases settled through MACT Awards										
MACT (Tribunal)	67485	53312	46718	26718	27922	78985	70686	58488	30571	27204
Grand Total	**89566**	**70232**	**66614**	**47831**	**45025**	**94938**	**81851**	**67380**	**41362**	**38109**

31 मार्च 2006 को बकाया एमएसीटी वाद मामलों का समयवार विश्लेषण

कब से लंबित	2005-06		2004-05		2003-04		2002-03		2001-02	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
3 माह या कम	27632	3287738	26463	2543143	19889	1803726	17468	1358188	15168	998217
3 माह से 6 माह	16482	1804818	18911	1776920	14091	1258609	12828	1044923	14058	1180324
6 माह से 1 वर्ष	36906	3968751	33565	3055015	35134	2239778	23184	2006585	24048	2044492
1 वर्ष से 3 वर्ष	96350	9478476	84228	7196187	73560	5906954	64922	5479828	52201	4634174
3 वर्ष से 5 वर्ष	51544	4439110	48306	3929695	41875	3469530	34926	2986169	29888	2642789
5 वर्ष से अधिक	70567	5802182	59971	4989421	49223	4095959	41865	3229183	36440	2847775
योग	**299481**	**28781075**	**271444**	**23490381**	**233772**	**18774556**	**195193**	**16104876**	**171803**	**14347771**

मोटर तृतीय पक्ष दावा निपटान :

	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
वर्ष के आरम्भ में बकाया दावों की संख्या	271444	233772	195193	171803	153294
वर्ष के दौरान सूचित मामलों की संख्या जोड़ें	117603	107904	105193	71221	63534
योग	389047	341676	300386	243024	216828
वर्ष के दौरान निष्पादित मामलों की संख्या घटायें	89566	70232	66614	47831	45025
वर्ष के अंत में बकाया दावों की संख्या	299481	271444	233772	195193	171803
दावा निपटान (%)	**23.02**	**20.56**	**22.18**	**19.68**	**20.77**

अनुसंधान और विकास गतिविधियां

वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित पालिसियां शुरू की गईं-

हमारे निगमित एजेंटों के लिए विशेष रूप से

अ) आईओबी हेल्थ केयर - आईओबी ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य बीमा

ब) वी-आरोग्य बीमा पालिसी - विजया बैंक ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य व व्यक्तिगत दुर्घटना संरक्षण

स) बड़ौदा स्वास्थ्य पालिसी - बड़ौदा बैंक ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य पालिसी

द) युको मेडी+केयर बीमा - यूको बैंक ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य व व्यक्तिगत दुर्घटना संरक्षण

दूसरी नई पालिसियां :

य) ट्राउमा केयर इन्श्योरेन्स पालिसी - 24 घंटे संरक्षण ; मृत्यु, स्थाई अपंगता व अस्पताल में भर्ती खर्च की प्रतिपूर्ति

र) सफेद मुसली रोपण बीमा - इस फसल को अग्नि और संबद्ध आपदा, महामारी व बीमारी से संरक्षण

ल) जतरोफा कारकस रोपण बीमा पौधों और बेरी को अग्नि और संबद्ध आपदा, महामारी व बीमारी से संरक्षण

व) प्रवासी भारतीय बीमा योजना - नई पालिसी में मूल प्रवासी भारतीय बीमा योजना में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संरक्षण शामिल किये गये हैं ।

श) एसबीबीजे नेशनल मेडीकवच बीमा पालिसी-केवल स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर के ग्राहकों के लिए

स) धनवंतरि-स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य बीमा

आनेवाली पालिसियां

अ) छात्रों के लिए विद्यार्थी मेडीक्लेम

ब) परिवार के लिए परिवार मेडीक्लेम

स) वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ मेडीक्लेम

Agewise Analysis of Outstanding MACT Suit cases as on 31st March, 2006

Pending for	2005-06		2004-05		2003-04		2002-03		2001-02	
	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
less than 3 months	27632	3287738	26463	2543143	19889	1803726	17468	1358188	15168	998217
3 months to 6 months	16482	1804818	18911	1776920	14091	1258609	12828	1044923	14058	1180324
6 months to 1 year	36906	3968751	33565	3055015	35134	2239778	23184	2006585	24048	2044492
1 year to 3 years	96350	9478476	84228	7196187	73560	5906954	64922	5479828	52201	4634174
3 years to 5 years	51544	4439110	48306	3929695	41875	3469530	34926	2986169	29888	2642789
more than 5 years	70567	5802182	59971	4989421	49223	4095959	41865	3229183	36440	2847775
Total	**299481**	**28781075**	**271444**	**23490381**	**233772**	**18774556**	**195193**	**16104876**	**171803**	**14347771**

Motor TP Claims Disposal

	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
No of cases outstanding at the beginning	271444	233772	195193	171803	153294
Add No. of cases reported during the year	117603	107904	105193	71221	63534
Total	389047	341676	300386	243024	216828
Less No. of cases settled during the year	89566	70232	66614	47831	45025
No. of cases outstanding at the end of the year	299481	271444	233772	195193	171803
Claims disposal (%)	**23.02**	**20.56**	**22.18**	**19.68**	**20.77**

RESEARCH & DEVELOPMENT ACTIVITIES :

The following Products were introduced during the year 2005-06.

For our Corporate Agents specially -

a. IOB Health Care - Health policies for IOB customers

b. V- Arogya Bima Policy - Health cum Personal Accident cover for Vijaya Bank Customers.

c. Baroda Health Policy - Health Policies for Bank of Baroda Customers

d. UCO Medi + Care Bima - Health cum Personal Accident cover for UCO Bank Customers.

Other New Products -

e. Trauma Care Insurance Policy - 24 hours cover; compensation in respect of Death, Permanent Disablement & hospitalisation expenses.

f. Safed Musli Plantation Insurance - Cover of this crop against fire and allied perils, pest & diseases.

g. Jatropha Curcas Plantation Insurance - Cover for plant and berries, fire and allied perils, pest & diseases.

h. Pravasi Bharatiya Bima Yojana 2006 - New policy incorporates extended covers proposed by Government of India in the original Pravasi Bharatiya Bima Yojana 2003.

i. SBBJ National Medi-Kavacha Bima Policy - For customers of State Bank of Bikaner & Jaipur only.

j. Dhanvanthari - Health Policy for customers of State Bank of Mysore.

Products in the Pipeline -

a. Vidyarthi Mediclaim for students

b. Parivaar Mediclaim for Family

c. Varishtha Mediclaim for Senior Citizens

प्रशुल्क मुक्त

प्रशुल्क मुक्त/डीटैरिफिंग के बाद चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी ने सार्थक उपाय किये हैं । प्रशुल्क मुक्त पर कंपनी का कार्यक्रम आईआरडीए द्वारा निर्धारित नक्शे के अनुसार है और दिसम्बर 2006 तक संगठन इसे सुनिश्चित करने के लिए तैयार होगा । प्रचालन कार्यालयों द्वारा प्रयोग की जानेवाली बीमालेखन निर्देशिका तैयार हो रही है और प्रशुल्क मुक्त दौर में बीमा करने के लिए कंपनी की तैयारियों को सुनिश्चित करने में मोटर और गैरमोटर बीमाकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया रहा है ।

इससे जुड़ी आईटी गतिविधि जैसे डाटा कैप्चर स्क्रीन में संशोधन और प्राधिकृत करने की प्रणाली शामिल करना साथ-साथ चल रहा है । डाटा विश्लेषण शुरू हो गया है और बर्निंग कास्ट की गणना होते ही रेट चार्ट सत्यापन के लिए नियुक्त बीमांकक को भेजा जायेगा और आईआरडीए को भी दिया जायेगा ।

कंपनी की विद्यमान पालिसियों में उन्हें ज्यादा ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए संशोधन किया जायेगा और उन्हें ऐसा रूप दिया जायेगा जिसमें ग्राहकों की रूचि सर्वश्रेष्ठ है । बीमालेखन दर्शन और दर ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि लाभ देनेवाले विभागों में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित हो ।

संगठनात्मक ढाँचा

31 मार्च 2006 को कुल कार्यालयों की संख्या 24 क्षेत्रीय कार्यालय, 306 मंडल कार्यालय 563 शाखा कार्यालय और 72 एजेंट शाखाएं हैं ।

डायरेक्ट एजेंट शाखा

कंपनी में कुल 72 डायरेक्ट एजेंट शाखाओं ने 2004-05 के 213.19 करोड़ के स्थान पर 2005-06 में रु.219.63 करोड़ की सकल प्रीमियम आय प्राप्त की । डीएबी का कुल निष्पादन संतोषजनक है ।

मानव संसाधन:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भर्ती कर्मचारियों की कुल संख्या तथा 31 मार्च, 2006 एवं 31 मार्च, 2005 को स्टाफ की तुलनात्मक संख्या निम्न प्रकार से है :

श्रेणी 2005-06	वर्ष के दौरान भर्ती की संख्या	31 मार्च को कुल स्टाफ संख्या	
		2006	2005
I	48	4260	4261
II	0	2046	2074
III	32	8182	8279
IV	1	2208	2240*
कुल	**81**	**16696**	**16854**

***श्रेणी IV में 114 अंशकालिक सफाई कर्मचारी शामिल हैं**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विकलांग, अन्य पिछड़ी जाति तथा भूतपूर्व सैनिक

वर्ष 2005-06 के दौरान उपर्युक्त कुल भर्ती में से अ. जा., अ. ज.जा., शा. वि., अ. पि. जा. तथा भूतपूर्व सैनिक की भर्ती का विवरण निम्नलिखित है :

श्रेणी	अजा	अजजा	शावि	अपिजा	भूतपूर्व सैनिक	सामान्य	योग
I	9	4	1	22	1	11	48
II	-	-	-	-	-	-	0
III	12	20	-	-	-	-	32
IV	-	1	-	-	-	-	1
योग	**21**	**25**	**1**	**22**	**1**	**11**	**81**

DETARIFFING :

The Company has taken proactive measures to counter challenges and capitalize on opportunities in and consequences of detariffing and is gearing up to ensure that the transition is smooth. The Company's programme on detariffing is in line with the roadmap laid down by IRDA and scheduled to ensure the organisation will be ready by early December 2006. The underwriting guidelines, to be used by the operating offices, are under preparation and training of both Motor and non-Motor underwriters is being imparted to ensure the Company's readiness to deal in a detariffed regime.

Related IT activity, like modification of 'data capture screens' and incorporating authorization systems, is going on simultaneously. Data analysis has commenced and once the 'burning cost' calculations have been done the rate charts will be sent to the Appointed Actuary for verification and filing with IRDA.

The Company will modify the existing products to make them more customer friendly, incorporating variants in new products so that customers' choice is paramount. The underwriting philosophy and rating structure are designed to ensure rapid growth in the identified profit making segments.

ORGANISATIONAL SET UP :

Total number of offices as on 31st March 2006 - 24 Regional Offices, 306 Divisional Offices, 563 Branch Offices and 72 Agents' Branches.

DIRECT AGENTS' BRANCHES :

Direct Agents' Branches (DABs) aggregating 72 in the Company have achieved a Gross Premium income of Rs.219.63 crore during 2005-06 as against Rs.213.19 crore during 2004-05. The overall performance of DABs is satisfactory.

HUMAN RESOURCES :

Total number of employees recruited during the year under review and the comparative staff strength as on 31st March 2006 and 2005 is given hereunder :

Class 2005-06	Number Recruited during the year	Total staff strength as on 31st March	
		2006	2005
I	48	4260	4261
II	0	2046	2074
III	32	8182	8279
IV	1	2208	2240*
Total	**81**	**16696**	**16854**

* Class IV staff strength includes 114 Part-time sweepers.

SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, PHYSICALLY HANDICAPPED, OTHER BACKWARD CLASSES AND EX-SERVICEMEN :

Out of total recruitment, SC, ST, PH, OBC and Ex-servicemen recruited during the year 2005-06 is as under :

CLASS	SC	ST	PH	OBC	EX-SERVICEMEN	GEN	TOTAL
I	9	4	1	22	1	11	48
II	-	-	-	-	-	-	0
III	12	20	-	-	-	-	32
IV	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL	**21**	**25**	**1**	**22**	**1**	**11**	**81**

एससीएसटी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सितम्बर 2005 में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया जिसमें सहायक संवर्ग में 32 रिक्तियों (अजा-12 व अजजा-20) में से 25 रिक्तियां (अजा-5 व अजजा-20) भरी गईं और 2003-04 में बैंकलॉग भरने के पूर्व अभियान में चुने गये सहायक सम्वर्ग में 7 अजा अभ्यर्थियों ने 2005-06 में कार्यभार ग्रहण किया । वर्ष 2005-06 में स्केल-। अधिकारी (विशेषज्ञ) संवर्ग में वित्त, विपणन, एचआर, एमबीए, बीमा में विशेषज्ञ कुल 48 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

वर्ष 2005-06 के दौरान अ. जा., अ. ज.जा., शा. वि., अ. पि. जा. तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित सामान्य सुविधा/छूटों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सभी उपाय किए गए ।

मानव संसाधन विकास :

2005-06 के दौरान नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से सभी संवर्गों के कर्मचारियों के विकास का निरंतर प्रयास किया गया । चूँकि नेशनल सेन्टर फार इन्श्योरेन्स लर्निंग, हमारा निगमित प्रशिक्षण संस्थान में नवीकरण हो रहा था इसलिए वहॉ प्रशिक्षण गतिविधियां नगण्य रही तथापि फरवरी 2006 से एनसीआईएल में प्रशिक्षण शुरू हुआ और स्केल -।।। अधिकारियों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग हुई । 49 अधिकारियों के सीधे भर्ती विशेषज्ञ बैच ने चार महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 1 मार्च 2006 को एनसीआईएल में रिपोर्ट किया जो 30 जून 2006 को समाप्त हुआ । एनसीआईएल के अलावा क्षेत्रीय पशिक्षण केन्द्रों और पूरे देश में फैले आईआरडीए द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट्स प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया । क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर श्रेणी-। से IV तक के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया । हमने एनआईए, पुणे और दूसरी प्रतिष्ठित एजेंसियों में विकसित और विशेषज्ञ प्रशिक्षण में अधिकारियों को नामित किया । हम एजेंट्स प्रशिक्षण केन्द्रों में संभावित और विद्यमान एजेंटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । नोडल अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशुल्क मुक्त दौर में प्रचालन पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है । नीचे दी गई सारणी में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों और एजेंटों की संख्या दी गई है :

कर्मचारी	प्रशिक्षण केन्द्र				
	एनसीआईएल	एनआईए	आरटीसी	अन्य एजेन्सी	योग
श्रेणी-।	92	630	1022	55	1799
श्रेणी-।।	-	-	50	-	50
श्रेणी-।।।	-	-	1684	-	1684
श्रेणी-IV	-	-	186	-	186
एजेन्ट	-	-	8757	-	8757
योग	**92**	**630**	**11699**	**55**	**12476**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के साथ पठित कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को प्रयोज्य सीमा (अर्थात रु. 2 लाख प्रति माह या एक वर्ष में रु.24 लाख) से अधिक पारिश्रमिक/भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

निदेशकों का दायित्व विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में निदेशकगण एतद्द्वारा सम्पुष्टि करते हैं कि :-

i) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है तथा साथ में महत्वपूर्ण विचलन के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है ;

ii) वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों, उसी अवधि के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने के लिए उन्होंने समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर लागू किया और उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा प्राक्कलन किया;

Out of 32 Vacancies (SC-12 & ST-20) in the cadre of Assistant, 25 Vacancies (SC-5 & ST-20) were filled up during Special Recruitment drive conducted in September, 2005 to clear SC/ST backlog vacancies and 7 SC candidates in the cadre of Assistant, who were selected in the previous backlog clearance drive of 2003-2004, have joined during the year 2005-2006.

Total number of 48 candidates, having specialization in Finance, Marketing, HR, MBA, Insurance, were selected for recruitment in the cadre of Scale-I officers (Specialists) during the year 2005-2006.

During the year 2005-2006 all measures were taken to ensure implementation of the benefits/concessions normally prescribed for SC/ST/OBC/PH/EX-SERV employees as per rules.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT :

During the year 2005-06 there was continuous effort for developing employees of all cadres through regular training. Training activities at National Centre for Insurance Learning (NCIL), our Corporate Training Institute was at a low key as NCIL was undergoing a thorough renovation programme. However, NCIL resumed training from February 2006 with induction training for Scale III officers. A Direct Recruit Specialist batch of 49 Officers reported at NCIL on 1st day of March 2006 for a 4- month training programme to end on 30th June 2006. Apart from NCIL, training was held at different Regional Training Centres (RTCs) and Agents Training Centres (ATCs), accredited by IRDA spread all over the country. RTCs have provided training to all classes of employees from Class I to Class IV. We have nominated officers for some advanced and specialized training to NIA (Pune) and other reputed agencies. We continue to provide training to prospective and existing agents at our ATCs. Training on operating in de-tariffed regime has been introduced at RTCs for the Nodal Officers. The table below displays number of employees and agents exposed to training during the year under review.

Employees	Training Centres				
	NCIL	NIA	RTCs	Other Agencies	Total
Class I	92	630	1022	55	1799
Class II	-	-	50	-	50
Class III	-	-	1684	-	1684
Class IV	-	-	186	-	186
Agents	-	-	8757	-	8757
Total	**92**	**630**	**11699**	**55**	**12476**

PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217(2A) OF THE COMPANIES ACT, 1956 :

During the financial year 2005-06, no employee was paid/in receipt of remuneration in excess of the applicable limits (i.e. Rs.2 lac per month or Rs.24 lac in a year) as prescribed under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, Directors hereby confirm that —

i) in preparation of Annual Accounts for the year ended 31st March 2006, the applicable accounting standards had been followed along with explanation relating to material departures, if any ;

ii) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgement(s) and estimate(s) that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for that period ;

iii) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा कपट और अन्य अनियमितताएं रोकने तथा खोजने के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv) सक्रिय व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है ।

सतर्कता :

भ्रष्टाचार से निपटने की सतर्कता विभाग की रणनीति तीन स्तरीय है : निवारक , निगरानी और दण्डात्मक । निवारक सतर्कता संगोष्ठी और 64 कार्यालयों के औचक निरीक्षण द्वारा निवारक सतर्कता पर अधिक जोर है क्योंकि निवारण उपचार से बेहतर है ।

प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में शपथ लेकर, बोर्ड, बैनर लगाकर, निवारक सतर्कता पर विचार गोष्ठी/संगोष्ठी आयोजित करके और निवारक सतर्कता पर पुस्तिका प्रकाशित करके सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ।

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में जांच अधिकारियों और प्रेजेटिंग अधिकारियों के साथ बैठक करके विशेषकर अधिक संख्या में बकाया जांचों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया गया । विभिन्न स्थानों पर जांच अधिकारियों और प्रेजेटिंग अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई ।

वर्ष के दौरान 148 अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई 128 मामलों में जुर्माना लगाया गया जिनमें से 94 में अधिक जुर्माना किया गया । 105 विभागीय जांच पूरी की गई ।

आंतरिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण गतिविधियाँ :

वर्ष 2005-06 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ने जोखिम पहचान निर्धारण और नियंत्रण की प्रक्रिया के माध्यम से एकीकृत जोखिम प्रबन्धन वातावरण के लिए आवश्यक गतिशील सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों का संज्ञान लेते हुए कंपनी में जोखिम आधारित लेखा परीक्षा का विचार शुरू किया । कार्य निष्पादन के साथ यह परम्परागत कारोबार लेखा-परीक्षा से धीरे-धीरे बदलकर लेखा-परीक्षा योजना के भाग के रूप में शामिल है ।

लाभ प्रदता के अध्ययन के उद्देश्य से पिछले 3 वर्षों के डाटा पर आधारित मंडल कार्यालयवार वित्तीय विश्लेषण किया गया । आंतरिक लेखा परीक्षा में नियमित कारोबार लेखा-परीक्षा से निष्पादन लेखा परीक्षा की ओर धीरे-धीरे फोकस बदल रहा है । जोखिम कारक के आधार पर चयनित 20 मंडल कार्यालयों की निष्पादन लेखा परीक्षा की गई जिसकी रिपोर्ट अनुपालन के लिए संबंधित मंडल और क्षेत्रीय कार्यालयों को दी गई । विगत में लेखा परीक्षा समिति द्वारा दिए गये निर्देशानुसार लेखा परीक्षा विभाग ने वर्ष के दौरान विभिन्न मंडलों के प्रावधानों के सत्यापन द्वारा एमएसीटी व लेखा सहित मोटर तृतीय पक्ष दावों के ठीक प्रावधान को सुनिश्चित करने के प्रयत्न जारी रखा ।

प्रधान कार्यालय के तकनीकी, सम्पदा व स्थापना विभाग सहित 20 क्षेत्रीय कार्यालयों की वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा की गई । पुनर्बीमा (लेखा) की विस्तृत लेखा परीक्षा और निवेश विभाग की समवर्ती लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान की गई जिससे विभागों के कार्य निष्पादन में सुधार हो ।

वर्ष के दौरान की गई लेखा परीक्षा की संख्या नीचे दी गई है जिससे यह पता चलता है कि कार्मिकों की कमी के बावजूद पिछले वर्ष से लगभग 17% अधिक लेखा परीक्षा की गई ।

क्रम संख्या	लेखा परीक्षा का प्रकार	**2005-06**	2004-05
1.	मंडल कार्यालय : नियमित	**246**	199
2.	मंडल कार्यालयः निष्पादन	**20**	0
3.	शाखा कार्यालयः नियमित	**385**	360
4.	क्षेत्रीय कार्यालयः नियमित	**21**	19
5.	प्रधान कार्यालय : विभाग	**4**	7
6.	प्रोत्साहन	**30**	133
7.	औचक निरीक्षण	**11**	18
8.	समवर्ती और विशेष लेखा परीक्षा	**59**	140
9.	एमएसीटीः विशेष (वि.व 2005-06)	**171**	0
10.	एमएसीटी : विशेष (वि.व 2004-05)	**30**	0
	योग	**977**	876

iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities ;

iv) annual accounts have been prepared on a going concern basis.

VIGILANCE :

Vigilance Department's strategy to deal with corruption is threefold - Preventive, Surveillance and Punitive. Prevention being better than cure the main thrust is on Preventive Vigilance - by way of Preventive Vigilance Seminars and Surprise Inspections have been conducted at 64 Offices.

Vigilance Awareness Week was observed in Head Office and other offices by taking Oath, Displaying Banner/ Board, conducting symposium, seminars and publishing booklet on Preventive Vigilance.

Special drive was taken to promote disposal of Enquiry Proceedings, specially large number of long pending inquiries by arranging meeting with Inquiry Officers and Presenting Officers at various Regional Offices. Workshops for training of the Inquiry Officers and Presenting Officers were also organized at different centres.

During the year 148 Disciplinary Proceedings have been initiated. In 128 cases penalties have been imposed of which 94 were Major Penalties. The numbers of Departmental Inquiry concluded were 105.

INTERNAL AUDIT AND INSPECTION ACTIVITIES:

Taking cognisance of the dynamic socio-economic changes necessitating a move towards an integrated risk management environment, through a process comprising risk identification, assessment & governance the Internal Audit Department, during the year 2005-06, have pioneered in the Company, the concept of 'Risk based' Audit. This along with performance is incorporated as part of the Audit Plan in a gradual transition from traditional transaction audit.

Divisional Office wise financial analysis was carried out based on last three years' data with the objective of studying profitability. Focus of Internal Audit is being slowly shifted from routine transaction audit to performance audit. Twenty Divisional Offices, selected on the basis of 'Risk Factors,' were subjected to Performance Audits, reports of which were submitted to the respective Divisions & ROs for compliance. During the year Internal Audit Department, as directed by Audit Committee earlier, continued efforts to ensure correct provision of Motor Third Party claims together with MACT & Accounts personnel, by conducting provision verification audits of numerous Divisions.

Twenty Regional Offices as well as Head Office Departments including Technical, Estate & Establishment, were audited during the year. Detailed audit on Re-insurance (Accounts) and concurrent audit on Investment Department was carried out during the year with a view to improving the performance of the Departments.

Number of Audits completed during the year is enumerated below from which it would be seen that audit coverage has increased by almost 17% over the preceding year in spite of manpower constraints. Dehradun Cell of IA & ID has commenced functioning in this fiscal.

S. No.	Type of Audit	**2005-06**	2004-05
1.	D.O. : Routine	**246**	199
2.	D.O. : Performance	**20**	0
3.	B.O. : Routine	**385**	360
4.	R.O. : Routine	**21**	19
5.	H.O. Departments	**4**	7
6.	Incentive	**30**	133
7.	Surprise Checks	**11**	18
8.	Concurrent & Special Audits	**59**	140
9.	MACT :Special (For F.Y. 2005-06)	**171**	0
10.	MACT :Special (For F.Y. 2004-05)	**30**	0
	Total	**977**	876

मंडल की लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 3 बैठकें हुईं जिसमें अंतिम बैठक में चंडीगढ़ क्षेत्र-। व निवेश विभाग की समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षा प्रश्नों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई ।

निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं -

1. श्री ओ एन सिंह
2. श्री ललित कुमार चन्देल
3. श्री वाई पी चोपड़ा (19 अप्रैल 2006 तक)
4. श्री सुजीत दास (20 अप्रैल 2006 से)

राजभाषा कार्यान्वयन :

गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये गये ।

मार्ग निर्देशों के अनुसार कंपनी के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया जिसे पूरा करने तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई व शिक्षण सत्र चलाये गये । वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने चंडीगढ़ क्षे.का-।। का निरीक्षण किया और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की । समिति द्वारा दिये गये निर्देशों को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ क्षे.का-।। और प्रधान कार्यालय द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई ।

हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया और आयोजित प्रतियोगिताओं में क्षेका और प्रका में अधिक लोगों ने भाग लिया । समारोह को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की । प्रतियोगिताओं में निबंध के रूप में कुछ उत्कृष्ट आलेख प्राप्त हुए जिन्हें गृह पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया ।

प्रधान कार्यालय में हिन्दी गृह पत्रिका बीमा-वार्ता प्रकाशित की गई जिसे कंपनी के पाठकों ने पूरी तरह सराहा । सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने अनिवार्यतः हिन्दी पत्रिकाएं निकाली । ये सभी अच्छी थी जिनमें से कुछ को नराकास से पुरस्कृत किया गया ।

आंतरिक भर्ती प्रक्रिया द्वारा चार नये खुले क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की तैनाती की गई । अनुवादकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है । अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन इस वर्ष तिरूपति में किया गया जो बहुत ही सफल रहा ।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एमएसडी)

फ्रंट ऑफिस मशीनीकरण पैकेज जेनिसिस के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप जिसमें प्रचालन कार्यालय स्तर पर डाटा भरा जाता है, हमने प्रचालन कार्यालयों के डाटा को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में समेकित करने के प्रयोजन से जेनिसिस इंटरप्राइज मोड्यूल लागू किया है । लगभग हमारे सभी प्रचालन कार्यालयों में एक बार में एक्सट्रेक्शन, ट्रांस्फारमेशन और लोडिंग गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और इस समय प्र.का में क्रियान्वयन चल रहा है । एक बार प्रधान कार्यालय में डाटा आ जाने के बाद इससे स्ट्रक्चर्ड और एढाक रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होगी जिसका प्रयोग विश्लेषण के लिए और प्रशुल्क मुक्त परिदृश्य में चुनौतियों का सामना करने के लिए हो सकता है ।

जेनिसिस इंटरप्राइज का वेब माड्यूल वेब आधारित कारोबार और प्रश्नोत्तर सेवा में सहायक होगा और बाद में यह इ-कॉमर्स में ले जायेगा । कंपनी के आईटी ढांचा की सुरक्षा के लिए आईटी सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन ठीक चल रहा है । हमने निगमित मेलिंग सुविधा कंपनी के सभी प्रचालन कार्यालयों और अधिकारियों को दी है ।

पुनर्बीमा और निवेश प्रचालनों के लिए साफ्टवेयर समानान्तर रूप से चालू है तथा कंपनी में तैयार निकसिस का वेतन-पर्ची माड्यूल वेतन-पर्ची बनाने के लिए सभी प्रचालन कार्यालयों द्वारा प्रयोग हो रहा है ।

2006-07 की हमारी योजना में पट्टाधृत लाईन नेटवर्क को छोड़कर बीएसएनएल द्वारा प्रस्तावित एमपीएलएस वीपीएन में जाना शामिल है तथा इंटरप्राइज वाईड एसेट प्रबन्धन तथा दस्तावेज और दावा कार्य प्रवाह प्रबन्धन हल का कार्यान्वयन शामिल है ।

निदेशक मंडल :

श्री वी रामसामी 31 अक्टूबर 2005 (दोपहर बाद) से कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक नियुक्त हुये । श्री बी चक्रवर्ती 31 अक्टूबर 2005 (दोपहर बाद) से अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक नहीं रहे । श्री टी के दास, कार्यकारी निदेशक व महाप्रबन्धक सेवा निवृत्ति पर 31 जनवरी 2006 से सेवा से निवृत्त हुये और श्री वाई पी चोपड़ा, कार्यकारी निदेशक व महाप्रबन्धक 20 अप्रैल 2006 से इन्श्योरेन्स कौंसिल, मुम्बई की गवर्निंग बाडी के सेक्रेटरी जनरल बनाये गये । श्री वाई पी चोपड़ा और श्री टी के दास द्वारा किये गये बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक मंडल अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहता है ।

Audit Committee of the Board met 3 times during the year where in the last Meeting compliance position of audit queries etc. of Chandigarh I Region & concurrent Audit Report of Investment Department were also reviewed.

The "Audit Committee" constituted by the Board comprises the undernoted Directors-

1) Shri O.N. Singh
2) Shri Lalit Kumar Chandel
3) Shri Y. P. Chopra (upto 19th April 2006)
4) Shri Sujit Das (from 20th April 2006)

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION :

Every possible step was taken to achieve the targets set by the Annual Programme issued by Ministry of Home Affairs.

Following the guidelines the programme was prepared for the Company which all Regional Offices made their best efforts to follow, by holding workshops, arranging learning sessions to improve official work in Hindi. During the year the 3rd Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language had inspected Chandigarh RO-II and held deliberations with Senior Executives of the Company. Necessary follow-up action has been taken by CHRO-II and Head Office to comply with the instructions given by the Committee.

Hindi Day/Week was celebrated with great enthusiasm and more participation in the competitions organized in all R.O. and H.O. level has been observed. All classes of employees took active part to make the functions a great success. These competitions have yielded some excellent write-ups in the form of essays which was published in some of the Company's house magazines.

At Head Office, Hindi House Magazine 'Bima Varta' has been published and well accepted by all the Company's in-house readers. All Regional Offices have compulsorily started issuing Hindi magazines and all these issues have been brilliantly presented, several of them, fetching prizes from concerned TOLICs.

By internal selection, four new Hindi Officers have been posted at the four new Regional Offices. Selection for the post of translators is under process. All India Hindi Officers' training-cum-conference was held at Tirupathi this year and it was very interactive and successful.

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT (MSD) :

As a sequel to the implementation of the front office mechanisation package GENISYS, which generates data at the operating office level, we have implemented the GENISYS Enterprise Module (GEM) for the purpose of consolidating the data operating offices at the respective Regional Offices as also at the Head Office. One time extraction, transformation and loading (ETL) activities in respect of almost all our operating offices has been completed and implementation at HO is currently underway. Once the data is aggregated at HO the same would facilitate generation of structured as well as adhoc reports which can be used for analytical purposes and also to meet the challenges in a detariffed scenario.

The web module of GENISYS Enterprise would facilitate web-based transactions and query service and this would usher in e-commerce in due course. Implementation of IT Security Policy to protect the IT infrastructure of the Company is well under way. We have also extended the corporate mailing facility to all the operating offices and Officers of the Company.

Software for Reinsurance and Investment operations are under parallel run and payroll module of NICESYS, developed in-house is now being used by all the operating offices for generating the pay slips.

Our plans for the year 2006-07 include migration of leased line network to MPLS VPN offered by the BSNL and also to implement an Enterprise wide Asset

सांविधिक लेखा परीक्षा :

विभिन्न क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों तथा विदेशी शाखाओं में शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स एम चौधुरी एण्ड कं , सनदी लेखाकार और मेसर्स एस घोष एण्ड कं, सनदी लेखाकार, कोलकाता को वर्ष 2005-06 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया । निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये मार्ग दर्शन हेतु अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया ।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष लेखा परीक्षा बोर्ड, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड -।। कोलकाता को उनके बहुमूल्य मार्गनिर्देश और सहयोग के लिए निदेशक मंडल ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।

संसद में वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाना :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ख) के साथ पठित धारा 619 (क) के अधीन संसद के दोनों सदनों में कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ रखा जा रहा है ।

आभार :

निदेशक मंडल सभी स्तरों के अधिकारियों, विकास अधिकारियों तथा दूसरी श्रेणियों के सभी कर्मचारियों द्वारा पालिसी धारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा कंपनी का कार्य निष्पादन सुधारने में उनके द्वारा किये गये योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहते हैं । अपने विद्यमान तथा नये ग्राहकों की बड़ी संख्या द्वारा कंपनी में पुन: विश्वास व्यक्त करने के लिए निदेशकगण उनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं । कंपनी का पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार करने में समुद्रपारीय पुनर्बीमाकर्ताओं और राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा दिये गये पूर्ण समर्थन के लिए निदेशकगण आभार व्यक्त करते हैं ।

कंपनी के कार्य प्रबन्धन में दिये गये समर्थन और मार्गनिर्देश के लिए बीमा प्रभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रति निदेशकगण अपना आभार तथा प्रशंसा दर्ज कराना चाहते हैं ।

कृते निदेशक मंडल

(वी रामसामी)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता
28 जुलाई 2006

Management and Document and Claims work flow Management solutions.

BOARD OF DIRECTORS :

Shri V. Ramasaamy was appointed Chairman-cum-Managing Director with effect from 31st October 2005 (Afternoon). Shri B. Chakrabarti ceased to be Chairman-cum-Managing Director with effect from 31st October 2005 (Afternoon). Shri T. K. Das, Functional Director & General Manager retired from service on attaining superannuation on 31st January 2006 and Shri Y. P. Chopra's Functional Director & General Manager services were assigned as Secretary General to Governing Body of Insurance Council, Mumbai with effect from 20th April 2006. The Directors wish to convey their appreciation for the contribution made by Shri Y. P. Chopra and Shri T. K. Das to the Company.

STATUTORY AUDITORS :

M/s. M. Choudhury & Company, Chartered Accountants and M/s. S. Ghose & Company, Chartered Accountants, Kolkata were appointed as Statutory Auditors of the Company for the year 2005-06 by Comptroller & Auditor General of India (CAG) in terms of Section 619(2) of the Companies Act, 1956 in addition to appointment/ reappointment of Branch auditors for the various Regional and Divisional Offices and also for the Foreign Branches. The Board of Directors wish to convey their sincere appreciation to the Auditors for their guidance.

AUDIT BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA:

The Board of Directors wish to convey their thanks to the Comptroller and Auditor General of India, the Chairman of the Audit Board, Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member, Audit Board-II, Kolkata for their valuable guidance and co-operation.

PLACEMENT OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT :

The Annual Report of the Company along with Directors' Report is being placed before both the Houses of the Parliament under Section 619(A) read with 619(B) of the Companies Act, 1956.

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board of Directors wish to place on record their appreciation of the commendable work done by the Officers and other classes of employees comprising of Development officers and Staff at all levels in rendering efficient services to the Policyholders and for their contribution in the performance of the Company. The Directors also deeply appreciate the confidence reposed in the Company by a wide spectrum of its client base, existing as well as new. The Directors acknowledge the excellent support extended by overseas Reinsurers and the General Insurance Corporation of India (GIC) as the National Reinsurer in the placement of Company's Reinsurance business.

The Directors would also like to place on record their gratitude and deep appreciation of the support and guidance received from the Senior officials of the Insurance Division. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Government of India and from the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in the management of the affairs of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

Kolkata
Date : 28th July 2006

(V. Ramasaamy)
Chairman-cum-Managing Director

अनुलग्नक-I
ANNEXURE I

2005-06 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण-
STATEMENT SHOWING NUMBER OF BOARD MEETINGS HELD DURING THE YEAR 2005-06 & ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THOSE MEETINGS

निदेशक का नाम **Name of Director**	मंडल बैठकों की तारीख **Date of Board Meetings**			
	14/05/2005	09/09/2005	24/12/2005	18/03/2006
श्री बी.चक्रवर्ती, सीएमडी Shri B. Chakrabarti, C M D	उपस्थित Present	उपस्थित Present	- -	- -
श्री वी रामसामी, सीएमडी Shri V. Ramasaamy, C M D	- -	- -	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री जी भुजबल, सरकारी निदेशक Shri G. Bhujabal, Govt. Director	उपस्थित Present	- -	- -	- -
श्री ललित कुमार, सरकारी निदेशक Shri Lalit Kumar, Govt. Director	- -	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री ओ.एन.सिंह, गैर कार्यपालक निदेशक Shri O. N. Singh, Non-Executive Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री वाई.पी.चोपड़ा, कार्यकारी निदेशक Shri Y. P. Chopra, Functional Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री टी.के.दास, कार्यकारी निदेशक Shri T. K. Das, Functional Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	-
श्री सुजीत दास, कार्यकारी निदेशक Shri Sujit Das, Functional Director	- -	- -	- -	उपस्थित Present
श्री डी.के.बर्मन, कार्यकारी निदेशक Shri D. K. Burman, Functional Director	- -	- -	- -	उपस्थित Present

2005-06 में आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण-
STATEMENT SHOWING NUMBER OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS HELD DURING THE YEAR 2005-06 & ATTENDANCE OF THE MEMBERS AT THOSE MEETINGS

निदेशक का नाम **Name of the Director**	बैठकों की तारीख **Date of Meetings**		
	20/08/2005	09/09/2005	18/03/2006
श्री ओ.एन.सिंह Shri O. N. Singh	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री ललित कुमार चन्देल Shri Lalit Kumar Chandel	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री वाई.पी.चोपड़ा Shri Y. P. Chopra	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present

अनुलग्नक-II

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(3) के अनुसार निदेशकों के प्रतिवेदन दिनांक 28 जुलाई 2006 का परिशिष्ट- लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन दिनांक 28 जुलाई 2006 की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण :

3.i) कम्पनी और भारतीय स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन के बीच कम्पनी के शेयर धारण का पुनर्मिलान हो रहा है और टिप्पणी सं. 10 में टेबल में दिया गया है कि 2005-06 में अधिकांश राशि का पुनर्मिलान हो गया है । इसके पूरी तरह पुनर्मिलान के लिए प्रयास हो रहा है ।

3.ii) कम्पनी द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद कुछ कार्यालयों में अतिशेष अपुष्ट/बिना पुनर्मिलान के रहा । हालांकि इन लेखा शीर्षों में शामिल राशि, लेखा से देय और लेखा को देय को छोड़ कर, कुल राशि को देखते हुए बहुत कम है फिर भी इन अतिशेषों के पुनर्मिलान/पुष्टि के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । लेखा से देय और लेखा को देय शीर्षक में दिखाये अतिशेष मुख्यतः पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े हैं जहाँ पुनर्बीमा कर्ता द्वारा वर्ष के अन्त में अतिशेष की पुष्टि सामान्यतया नहीं दी जाती । तथापि यह सभी लेखा चालू लेखा है और जब भी निपटान होता है अतिशेष उचित रुप से समायोजित होते हैं। इन अतिशेषों के निपटान/समायोजन और पुनर्मिलान के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

3.iii) एक साल से अधिक अवधि की पालिसियों का प्रीमियम मिलने के वर्ष में आय के रुप में लिया जाता है क्योंकि कम्पनी के कुल प्रीमियम को देखते हुए यह राशि काफी कम होती है। जब तक मांग न हो कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक पालिसी जारी नहीं होती ।

3iv) हालांकि कई कार्यालयों ने नकदी प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष विधि से तैयार किया किन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों से उसे समेकित नहीं किया जा सका इस लिए नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया ।

कृते निदेशक मंडल

(वी रामसामी)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता
दिनांक:28 जुलाई, 2006

ANNEXURE - II

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT DATED 28TH JULY, 2006
AS PER SECTION 217(3) OF THE COMPANIES ACT, 1956 - EXPLANATION
FOR THE QUALIFICATIONS IN THE AUDITORS' REPORT DATED 28TH JULY 2006

3.i) The reconciliation of Company's shareholdings, between the Company and Stock Holding Corporation of India Limited is under process and the table under Note No. 10 shows that a substantial amount has been reconciled during the year 2005-06. Further effort is being made to fully reconcile the same.

3.ii) In spite of best efforts made by the Company, there are some unconfirmed/unreconciled balances in a few offices. Although the amount involved under these heads of accounts, except in case of Amount due from and due to accounts, are not material as compared to the total amount, further steps are being taken to reconcile/confirm such balances. The balances shown under the head 'Amount due from and due to' are mainly related to reinsurance business where the year end balance confirmation are not normally given by the reinsurers. However, all these accounts are running accounts and as and when the settlements are taken place, the balances are suitably adjusted. Necessary steps are being taken to reconcile and settle/adjust these balances.

3.iii) The premium in respect of policies extended for more than one year is recognized as income in the year of receipt since the amount involved is not material as compared to the total amount of premium income of the Company. The long term policies are not issued by the Company unless it is warranted.

3.iv) Although the cash flow statement was prepared on direct method by many offices, due to various practical difficulties the same could not be consolidated and finally the cash flow statement has been prepared on indirect method.

For and on behalf of the Board of Directors

[V. Ramasaamy]
Chairman-cum-Managing Director

Kolkata
Date: 28th July 2006

अनुलग्नक-III
ANNEXURE - III

व्यक्तिगत बीमा के कुछ प्रकारों के निष्पादन का विवरण
DETAILS OF PERFORMANCE OF SOME OF THE PERSONAL LINE INSURANCES

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी (रु. हजार में)
JANATA PERSONAL ACCIDENT POLICY **(Rs. in thousand)**

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	775000	1038000	133696	7000	6000	218235	186.00
2002-03	192000	875000	230505	7100	5300	207282	112.80
2003-04	109877	2478740	257160	7240	3773	192040	77.10
2004-05	136009	11015163	148028	3617	2447	195541	199.66
2005-06	158261	957072	90109	5127	3077	251043	489.64

ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी (रु. हजार में)
GRAMIN PERSONAL ACCIDENT POLICY **(Rs. in thousand)**

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	37000	99000	495	4700	4000	400	3.00
2002-03	30200	1681000	8407	1800	1900	9210	109.55
2003-04	59110	661822	202011	1434	1347	110369	42.34
2004-05	6853	2407137	131088	1713	1457	188381	67.25
2005-06	8887	104063	52204	467	373	23431	104.55

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (रु. हजार में)

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE FOR KISSAN CREDIT CARD HOLDERS (Rs. in thousand)

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	1000	55000	1574	7	0	0	22.24
2002-03	16700	61500	1837	10	4	266	14.48
2003-04	11792	157047	2011	18	7	250	44.75
2004-05	19149	308612	12344	99	85	2618	26.86
2005-06	40821	308460	11840	114	84	3043	20.99

ग्रामीण बीमा व्यवसाय (रु. हजार में)

RURAL INSURANCE BUSINESS (Rs. in thousand)

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	3404000	6807000	754964	148000	128000	558119	77.00
2002-03	439100	2605000	266063	164000	233000	78314	41.51
2003-04	392007	7028178	303958	47133	47943	69208	25.00
2004-05	216949	373300	527260	14683	12231	1097734	44.69
2005-06	220016	350248	572862	12916	9391	218438	55.55

राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना (रु. हजार में)

RAJRAJESHWARI MAHILA KALYAN BIMA YOJANA (Rs. in thousand)

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	51129	158733	7781	412	283	1923	24.71
2002-03	9059	412864	6192	204	332	4980	80.42
2003-04	2423	144290	1720	20	63	355	23.01
2004-05	2115	11211	387	71	77	641	115.99
2005-06	607	31399	565	120	67	1236	107.56

भाग्यश्री शिशु कल्याण बीमा योजना (रु. हजार में)

BHAGYASHREE CHILD WELFARE BIMA YOJANA **(Rs. in thousand)**

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	10957	18759	363	5	2	30	8.26
2002-03	4787	45789	686	0	0	0	0
2003-04	980	14612	459	4	5	75	16.40
2004-05	2827	13879	4934	31	48	1179	29.02
2005-06	1656	108595	1529	1	1	25	1.76

जन आरोग्य पालिसी (रु. हजार में)

JAN AROGYA POLICY **(Rs. in thousand)**

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	90736	123948	8902	9609	7017	8547	96.00
2002-03	18098	207701	19403	6678	5987	18231	96.39
2003-04	7147	260230	2265	9584	9503	3292	102.03
2004-05	8906	171603	16676	2216	1581	15412	88.20
2005-06	5418	35582	10715	3241	3116	11225	102.11

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा (रु. हजार में)

UNIVERSAL HEALTH INSURANCE **(Rs. in thousand)**

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2003-04	24430	78140	13405	250	130	497	12.54
2004-05	14577	27709	7749	2152	1659	3659	60.53
2005-06	7794	23974	1843	53	35	131	12.41

मेडीक्लेम बीमा (रु. हजार में)

MEDICLAIM INSURANCE **(Rs. in thousand)**

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	897480	2497801	1761453	213313	189595	1457261	82.70
2002-03	436273	2025610	2253386	148963	140274	2203720	104.17
2003-04	505260	3122536	2980281	198573	186110	3047145	102.24
2004-05	588370	7560666	3640745	245448	269934	4342986	135.01
2005-06	688842	2957739	3988566	236481	202597	4917365	128.71

पशु बीमा (रु. हजार में)

CATTLE INSURANCE **(Rs in thousand)**

वर्ष Year	जारी पालिसियों की संख्या No. of Policies issued	संरक्षित जीवनों की संख्या No. of lives Covered	प्रीमियम रु. Premium Rs.	सूचित दावों की संख्या No. of Claims reported	निपटाये गये दावों की संख्या No. of claims settled	प्रदत्त राशि रु. Amount Paid Rs.	उपगत दावा अनुपात (%) Incurred claim Ratio (%)
2001-02	2564000	3235000	285150	93000	80000	231680	82.50
2002-03	266000	623000	226888	27400	23300	162418	81.90
2003-04	99530	99530	169253	20738	16227	108599	49.45
2004-05	197660	2268742	266003	19881	2227533	151932	56.17
2005-06	196535	654203	308614	24060	46657	183115	61.35

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों हेतु
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

1. हमने नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी का 31 मार्च, 2006 का संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न अग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा आय लेखा और लाभ तथा हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 24 क्षेत्रीय कार्यालयों और 306 मंडल कार्यालयों की लेखा परीक्षित विवरणियाँ एवं दो विदेशी शाखाओं के समुद्रपारीय लेखा परीक्षकों द्वारा स्थानीय कानूनों के अनुसार की गई लेखा परीक्षित विवरणियाँ शामिल हैं ।

   इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी का प्रबंधन उत्तरदायी है । हमारा उत्तरदायित्व यह है कि अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें ।

   तुलन-पत्र, आय लेखा तथा लाभ और हानि लेखा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (1) (2) और (5) तथा धारा 227 की उप धारा (5) के प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11 (1) के प्रावधानों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है ।

   हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है । उन मानदंडों की अपेक्षा है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन, इसका समुचित आश्वासन पाने के लिए करें कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक मिथ्याकथन नहीं है । लेखा परीक्षा में परीक्षा आधार पर राशि का समर्थन करते हुए साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल है । लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा ने हमारे विचार व्यक्त करने का समुचित आधार दिया है।

2. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में उल्लिखित लेखा परीक्षा के आधार पर हमारा प्रतिवेदन निम्नवत है :

   i) हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किया और उन्हें संतोषजनक पाया।

   ii) हमारे विचार में संबंधित बहियों की हमारी जांच से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं ।

   iii) हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त उचित विवरणी शाखा/मंडल/क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त हुई है ।

   iv) दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित मंडल कार्यालयों, विदेशी शाखाओं के लेखा पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और उस पर प्रधान कार्यालय में उपलब्ध ऐसे अन्य विवरणों और जानकारी पर विचार किया गया ।

   v) इस प्रतिवेदन में शामिल कम्पनी का तुलनपत्र, आय लेखा तथा लाभ और हानि-लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विविध) लेखा-बहियों तथा विवरणियों से मेल खाते हैं ।

   vi) लेखांकन नीतियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानकों और आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार और लागू सीमा तक हैं ।

   vii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान कम्पनी लॉ बोर्ड के सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22.03.2002 के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के निदेशकों पर लागू नहीं हैं ।

   viii) निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार हुआ है ।

   ix) देयताओं का बीमांककीय मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित है ।

3. अनुसूची 17 में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित हैं-

   i) अभिरक्षक से विभिन्न प्रतिभूतियों के बकाया पुनर्मिलान के प्रभाव के सम्बन्ध में टिप्पणी सं.10

   ii) अनिश्चित रहे लेखा पर अप्राप्त पुनर्मिलान/संपुष्टि पर, यदि हो, समायोजन के प्रभाव के सम्बन्ध में टिप्पणी सं.16

Auditors' Report To The Members of National Insurance Company Limited

1. We have audited the attached Balance Sheet of **National Insurance Company Limited** as at 31st March 2006, the annexed Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Revenue Accounts, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement (Indirect Method) for the year ended on that date, in which are incorporated the audited returns of 24 Regional Offices, 306 Divisional Offices audited by other auditors and also the audited statements of account of 2 Foreign Branches audited by overseas auditors under the applicable local laws.

   These financial statements are the responsibility of the Company's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

   The Balance Sheet, the Revenue Accounts and Profit and Loss Account have been prepared in accordance with the provisions of Section 11(1) of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of Sub-sections (1), (2) and (5) of Section 211 and Sub-Section (5) of Section 227 of the Companies Act, 1956 and also as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (IRDA).

   We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

2. On the basis of audit indicated in paragraph 1 above, we report that :

   i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and found to be satisfactory;

   ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been maintained by the company so far as appears from our examination of those books;

   iii) Proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Branches/ Divisional Offices/Regional Offices;

   iv) The reports of the auditors on the accounts of Regional Offices, Divisional Offices, Foreign Branches audited by other auditors and such other particulars and information thereon available at Head Office, have been taken into consideration;

   v) The Company's Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement (Indirect Method) dealt with in this report are in agreement with the books of account and returns;

   vi) The accounting policies are in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956, to the extent applicable and are also in conformity with the provisions of the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002;

   vii) The provisions of section 274(1) (g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Directors of the Company in view of Company Law Board General Circular No.8/2002 dated 22.03.2002;

   viii) Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1938 and the provisions of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002;

   ix) The actuarial valuation of liabilities is duly certified by the Appointed Actuary.

3. Attention is invited to the following Notes in Schedule 17 :

   i) Note No.10 regarding impact of pending reconciliation of various securities with the custodian;

   ii) Note No.16 regarding impact of adjustment, if any, on reconciliation/confirmation not obtained on the accounts remaining unascertained;

iii) 1 वर्ष से अधिक के लिए विस्तारित पालिसियों पर प्रीमियम को मिलने के वर्ष में आय के रूप में मान्यता जो आईआरडीए विनियमों के अनुरूप नहीं है की मान्यता के सम्बन्ध में टिप्पणी सं. 25

iv) आईआरडीए विनियमों द्वारा प्रत्यक्ष विधि के बदले अप्रत्यक्ष विधि के अधीन तैयार नकदी प्रवाह विवरण के सम्बन्ध में टिप्पणी सं.26

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा पर हुई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा बीमा अधिनियम, 1938 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित और इसके लिए अपेक्षित प्रकार से प्रयोज्य सीमा तक सूचना देता है तथा अनिश्चित रहे परिणामी प्रभाव पर उक्त अनुच्छेद 3 के हमारे विचारों के अधीन सही और सटीक चित्र देता है :-

i) तुलन-पत्र में 31 मार्च 2006 को कम्पनी के कार्य की स्थिति का

ii) आय लेखा में 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि और समुद्री व्यवसाय में आधिक्य और विविध व्यवसाय में घाटे का

iii) लाभ और हानि लेखा में 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष की हानि का

iv) नकदी प्रवाह विवरण में 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि

i) हमने प्रबन्धन रिपोर्ट की समीक्षा की और इसमें वित्तीय विवरण से कोई प्रकट भूल या तात्विक असंगति नहीं है

ii) कम्पनी ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का पालन किया है

iii) हमने नकदी और बैंक अतिशेष, ऋणों से संबंधित निवेश और प्रतिभूतियों का वास्तविक निरीक्षण या प्रमाण-पत्र और या अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा सत्यापित किया है बशर्ते टिप्पणी संख्या 10में वर्णित सीमा के अलावा

iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर पालिसी धारकों के कोष की संपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसीधारकों के कोष के नियोजन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (अद्यतन यथा संशोधित) प्रावधानों के उल्लंघन में नियोजित नहीं है ।

एम चौधुरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(डी.चौधुरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 52066

एस घोष एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(चन्दन चट्टोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 51254

कोलकाता, 28 जुलाई, 2006

iii) Note No.25 regarding recognition of premium on extended policies over 1 year as income in the year of receipt which is not in conformity with IRDA Regulations;

iv) Note No.26 regarding Cash Flow Statement prepared under Indirect Method instead of Direct Method prescribed by IRDA Regulations.

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Accounts read with the Significant Accounting Policies and the Notes on Accounts give the information as required by the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Companies Act, 1956 to the extent applicable in the manner so required and subject to our observation in paragraph 3 above on the consequential effect remaining unascertained, give a true and fair view:

i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2006;

ii) in the case of the Revenue Accounts, of the surplus in Fire and Marine business and deficit in Miscellaneous business for the year ended 31st March 2006;

iii) in the case of the Profit and Loss Account, of the loss for the year ended 31st March 2006 ;

iv) in the case of the Cash Flow Statement, of the Cash Flow for the year ended 31st March 2006.

5. We further certify that:

i) We have reviewed the Management Report and there is no apparent mistake or material inconsistency with the financial statements.

ii) The Company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Authority.

iii) We have verified cash and bank balances, securities relating to loans, investments by actual inspection or by production of certificates and/or other documentary evidences except to the extent stated in Note No.10.

iv) To the best of our information and explanations given to us and on the basis of representations made by the Company, no part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Funds.

M. Choudhury & Co.
Chartered Accountants

(D. Choudhury)
Partner
Membership No. 52066

S. Ghose & Co.
Chartered Accountants

(Chandan Chattopadhay)
Partner
Membership No. 51254

Kolkata, 28th July 2006

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के लेखा पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

टिप्पणी	निदेशकों का उत्तर
क) **लाभ व हानि लेखा** **वर्ष के दौरान हानि (कर के पश्चात)- रू. 106.25 करोड़** निम्नलिखित के कारण कम्पनी की उक्त हानि को रू. 7.72 करोड़ कम दिखाया गया है	
i) विविध आय लेखा के अधीन उपगत दावे (शुद्ध) में रु.3.29 करोड़ के मोटर दुर्घटना बकाया दावे शामिल नहीं हैं क्योंकि पालिसी जारीकर्ता कार्यालयों ने उनकी तरफ से दूसरे कार्यालयों द्वारा देखे जा रहे मामलों के लिए रु.2.29 करोड़ का प्रावधान नहीं किया और विविध मामलों के लिए रु. 1.00 करोड़ की प्रविष्टि ईडीपी सिस्टम में नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं (अनुसूची 13) का अवकथन हुआ है।	i) लेखा को फाइनल करते समय इन सूचित दावों के बारे में सेवाकर्ता कार्यालय/बीमाकर्ता कार्यालय के पास पर्याप्त जानकारी मौजूद नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रावधान विधिवत सत्यापन तथा सभी जरूरी जानकारी मिलने के बाद चालू वर्ष में किए जाएंगे।
ii) मोटर तथा कर्मकार क्षतिपूर्ति में प्रदत्त और बकाया दावों के लिए सा.बी.नि.से प्राप्य राशि को रु.3.98 करोड़ अधिक दिखाया गया। परिणामस्वरूप चालू देयताओं (अनुसूची 13) का भी अवकथन हुआ है।	ii) रु. 3.98 करोड़ में से रु. 1.69 करोड़ वित्तीय वर्ष 2004-05 का है और समायोजन के माध्यम से सा.बी.नि.से इसकी वसूली उसी वर्ष हो गई। शेष वसूली राशि रु.2.29 करोड़ में 2005-06 की प्रदत्त और बकाया वसूली राशि दोनों शामिल है। सा.बी.नि.ने पत्र दिनांक 5 मई 2006 द्वारा सूचकांक की जानकारी दी है तथा तदनुसार उसे प्रयुक्त किया गया है।
iii) तृतीय पक्ष प्रशासक सेवाशुल्क की राशि रु. 0.45 करोड़ को उपगत दावों के बदले विविध देनदार में नामे किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियों (अनुसूची 12) का अधिकथन हुआ है।	iii) आवश्यक समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में किए जाएंगे।
ख) वर्ष के लिए रु. 2.56 करोड़ हानि का अधिकथन हुआ है क्योंकि पुनर्बीमा व्यवस्था के अधीन प्रीमियम अर्पण पर कमीशन आय के रुप में विविध आय लेखा के अधीन पुनर्बीमा अर्पण (अनुसूची 3) पर कमीशन के अवकथन का लेखांकन नहीं हुआ । परिणामस्वरुप चालू परिसम्पत्तियों (अनुसूची 12) का उतना अवकथन हुआ है।	ख) विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पूरा विवरण नहीं मिलने से 2005-06 में कमीशन वसूली की प्रविष्टि नहीं की जा सकी ।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956, ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, KOLKATA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2006.

COMMENTS	DIRECTORS' REPLY
Profit and Loss Account	
Loss (after tax) for the year Rs.106.25 Crore	
(A) Loss for the year has been understated by Rs.7.72 crore due to the following :	
(i) Claims Incurred (Net) under 'Miscellaneous Revenue Account' did not include motor accident outstanding claims amounting to Rs.3.29 crore as the policy issuing offices did not make provisions of Rs.2.29 crore for the cases which were being pursued by other Offices on their behalf and for sundry cases amounting to Rs.1.00 crore which were not entered into the EDP system. This has also resulted in under-statement of Current Liabilities (Schedule 13) to the same extent.	(i) At the time of finalization of accounts, adequate information in respect of these claims intimated were not available to the servicing offices/ underwriting offices. Provisions pointed out by the audit will be made in the current year after due verification and availability of all necessary information.
(ii) Amount recoverable from GIC on account of Motor and Workmen Compensation against claims paid and outstanding was overstated by Rs.3.98 crore. Consequently, Current Liabilities (Schedule 13) have also been understated.	(ii) Out of Rs.3.98 crore, Rs.1.69 crore relates to the financial year 2004-05 and the same was recovered from GIC by way of adjustment in the same year. Balance recovery amounting to Rs.2.29 crore include both paid and outstanding amount recovery, for 2005-06. GIC has intimated index up to 2003-04 vide letter dated 5th May 2006 and accordingly the same was applied.
(iii) Third Party Administrator (TPA) Service Charges amounting to Rs.0.45 crore were debited to Sundry Debtors instead of Incurred Claims. This has also resulted in overstatement of Current Assets (Schedule 12) to the same extent.	(iii) Necessary adjustment will be made in the current financial year.
(B) Loss for the year has been overstated by Rs.2.56 crore due to understatement of Commission on Reinsurance ceded (Schedule 3) under "Miscellaneous Revenue Account" as the commission income on premium cession under reinsurance arrangement has not been accounted for.	(B) In absence of full details of different types of business, the entry for commission recovery could not be made in 2005-06 and the same will be adjusted in 2006-07.

सामान्य

i) पिछले वर्ष (2004-05) के दौरान रु.8.78 करोड़ के साफ्टवेयर का मूल्य लेखा के अंगीभूत नोट 24 (अनुसूची 17) के अनुसार तीन वर्ष की अवधि में संविभाजित किया गया । 2004-05 में लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण रु.5.85 करोड़ लाभ बढ़ गया। तथापि साफ्टवेयर पर रु.7.57 करोड़ का खर्च तीन वर्ष के लिए संविभाजित न करके चालू वर्ष में पूर्णतया चार्ज किया गया है।

ii) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानक 5 की अपेक्षा के विपरीत अवधिपूर्व समायोजन को प्रकट नहीं किया गया है।

(बी.मजुमदार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड II कोलकाता

कोलकाता
11 सितम्बर,2006

i) वायरसरोधी साफ्टवेयर के लिए दी गई लाइसेन्स फीस को राजस्व के रूप में चार्ज किया गया है। तथापि लेखापरीक्षा टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए हमने नोट किया।

ii) पिछले वर्षों के खर्चों से सम्बन्धित रु.4 लाख की राशि को 2005-06 में खर्च के रूप में नामे किया गया है तथा चूंकि यह राशि तात्विक नहीं है इसलिए अलग से नहीं दिखाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा दी गई टिप्पणी का शुद्ध प्रभाव रु.11 लाख(नामे) है जो हमारे अनुसार कम्पनी का कुल व्यवसाय देखते हुए तात्विक नहीं है।

कृते निदेशक मण्डल

(वी.रामसामी)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता
25 सितम्बर,2006

As a result, Current Assets (Schedule 12) have also been understated to the same extent.

General

(i) During the previous year (2004-05) the cost of the software amounting to Rs.8.78 crore was amortized over a period of three years as per note 24 forming part of the accounts (Schedule-17). The impact of change in the accounting practice during the year 2004-05 resulted in increase in profit by Rs.5.85 crore. However, expenditure of Rs.7.57 crore on software has been charged fully during the current year instead of amortizing the same over a period of three years. The change in the accounting practice again in this year has resulted in increase in loss by Rs.5.05 crore.

(ii) Prior Period Adjustments have not been disclosed in contravention of requirement of the Accounting Standard 5 prescribed under section 211 of the Companies Act 1956.

(B. Mazumdar)
Principal Director of Commercial
Audit & Ex-Officio Member,
Audit Board-II, Kolkata

Kolkata
11th September, 2006

(i) The licence fees paid for antivirus software was charged off as revenue. However, we have taken note of the audit comment for our future compliance.

(ii) An amount of Rs.4 lac was debited as expenses during the year 2005-06 relating to the expenses of earlier years and as the amount involved is not material, no separate disclosure was given.

The net impact of the comments given by audit amounts to Rs.11 lac (Debit) which, according to us, is not material as compared to total volume of business of the Company.

For and on behalf of
the Board of Directors

(V. Ramasaamy)
Chairman-Cum-Managing Director

Kolkata
25th September 2006

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणियों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियमन, 2002 की अनुसूची ख के भाग IV की अपेक्षानुसार प्रबंधन रिपोर्ट

हम प्रमाणित करते हैं कि: -

1. साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए हमारी कम्पनी ने प्राधिकरण से पंजीकरण का नवीकरण करा लिया है;

2. सांविधिक प्राधिकारियों को देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया गया;

3. वर्ष के दौरान शेयर धारण परिपाटी तथा शेयरों का अंतरण सांविधिक/विनियामक की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है;

4. भारत में जारी पालिसियों के धारकों की निधियां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेशित नहीं की गई हैं;

5. आईआरडीए (बीमाकर्ता की सम्पत्ति, देयता और शोधन क्षमता) विनियम 2004 के अनुसार 31 मार्च 2006 को शोधन क्षमता 1.08 ज्ञात हुई ।

6. सभी परिसम्पत्तियों के मूल्यों की तुलनपत्र की तिथि को समीक्षा की गई है तथा यह कि हमारे विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में व्यक्त कई शीर्षों - ऋण, निवेश, एजेंट अधिशेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज, लाभांश तथा किराया लेकिन प्राप्य नहीं, बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों से प्राप्य राशि, विविध देनदार, प्राप्य बिल, नकद तथा अन्य लेखा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अनधिक कुल राशि दर्शायी गई है;

7. हमारी कम्पनी को अनेक प्रकार के जोखिमों अर्थात महाविनाशकारी/दुर्घटनात्मक सामाजिक जोखिमों से खतरा है जिससे पोर्टफोलियो प्रभावित हो रहा है । तथापि इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति तीन स्तरीय है । प्रथमतः हमने किसी एक दुर्घटना पर अपनी अधिकतम देयता को सीमित करने के लिए एक सुव्यवस्थित पुनर्बीमा कार्यक्रम बनाया है । प्रतिधारण को कम्पनी के शुद्ध मूल्य से संबद्ध किया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार अग्नि विभाग में प्रतिधारण के सर्वोच्च स्तर को रखा गया है तथा व्यक्तिगत जोखिम के आधार पर व्यवसाय के अन्य वर्गों में इसे कम किया गया है । दूसरा, हमारा मुख्य रूझान गैर-मोटर बीमा बाजार के बड़े भाग की ओर है जो अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद है । तीसरा, संगठित क्षेत्र के व्यवसाय में अधिक बाजार भागीदारी हासिल करना।

8. नेपाल तथा हांगकांग में स्थित दो विदेशी शाखाओं में से नेपाल के बाजार में मुख्य खतरा सम्पत्ति बीमा के क्षेत्र में है तथा इस प्रकार के जोखिमों के लिए कम्पनी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। हांगकांग शाखा द्वारा प्रतिकूल दावों को देखते हुए प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 18.2.2002 से हांगकांग में नया व्यवसाय लेना बंद कर दिया जाय । तथापि शाखा हांगकांग में हानि के निष्पादन की सेवा जारी रखे हुये हैं ।

9. दावों की अवधि (सकल व्यवसाय पर) लेखा के अंगीभूत टिप्पणियों (अनुसूची 17) के अंतर्गत मद संख्या 5 में दी गई हैं । विवादित मामलों को छोड़कर, दावे उपयुक्त समयावधि में निपटाये जाते हैं ।

10. तुलनपत्र में दर्शाए गए के अुनसार सभी निवेश तथा स्टॉक को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में वर्णित ढंग से मूल्यांकित किया गया है : अर्थात

    i) इक्विटी शेयर तथा म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अलावा किए गए निवेश लागत पर वर्णित है तथा प्रत्याभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम की बाकी अवधि के लिए किश्त निर्धारित की गई है ।

    ii) इक्विटी शेयरों, जिनका बाजार में सक्रिय कारोबार होता है, तथा म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश को उचित मूल्य पर वर्णित किया गया है ।

    iii) ऐसे शेयर का, जिनका कारोबार कम होता है, लागत पर अथवा विघटित मूल्य पर, जो भी कम हो, मूल्यांकन होता है ।

    iv) विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अधिग्रहण के वर्ष के अंत में चालू विनिमय दरों पर किया गया है ।

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT OF INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS, 2002

We certify that:

1. Renewal of Registration for carrying out the General Insurance Business of our Company has been obtained from the Authority,

2. All dues payable during the year to the statutory authorities have been duly paid;

3. The shareholding pattern and transfer of shares effected during the year are in accordance with statutory/regulatory requirements;

4. The funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India;

5. The solvency margins as per IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 worked out to 1.08 as at 31st March 2006.

6. The value of all the Assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in our belief the Assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value, under the several headings - "Loans", "Investments", "Agents' Balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other Persons or Bodies carrying on Insurance Business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and items specified under "Other Accounts";

7. Our Company is exposed to various kinds of risks i.e. catastrophic/accidental/social etc. However, the strategy adopted to mitigate the same is mainly threefold. Firstly, we have devised a well laid out re-insurance programme to arrest our maximum liability in any one eventuality. The retentions are linked to net worth of the Company. The highest level of retentions are maintained in Fire Department as per international practices and graded down in other classes of business on an individual risk. Secondly, our thrust area is to have greater share of non-motor insurance market which is comparatively more profitable. Thirdly, we are trying to acquire more market share in organised sector business.

8. Out of the 2 foreign branches situated in Nepal and in Hongkong, the exposure in Nepal is predominantly in property insurance area and the assumption of risks of this kind is mainly taken care of by the reinsurance programme of the Company. In view of adverse claims experienced in Hongkong Branch, it has been decided by the Management to stop accepting new insurance business in Hongkong from 18.02.2002. However, the Branch is continuing the service of settlement of claims in Hongkong.

9. The ageing of claims (on gross business) has been given in Point No.5 in Notes on Accounts (Schedule 17). Barring disputed cases, the claims are settled within a reasonable period of time.

10. All investments and stocks, as shown in the Balance Sheet, have been valued in the manner disclosed in Significant Accounting Policies, i.e.

    i) Investments other than Equity Shares and units of Mutual Funds are stated at cost and the premium paid on securities are amortised over the remaining period.

    ii) Investments in Equity Shares that are actively traded in the market and the units of Mutual Funds are stated at fair value.

    iii) Shares that are thinly traded are valued at lower of Cost or Break up value.

    iv) Foreign Government securities are valued at the exchange rates prevalent at the end of the year of acquisition.

vi) ऋण तथा ऋण-पत्रों के संबंध में गैर निष्पादित परिसम्पत्ति के प्रावधान के संबंध में, कम्पनी द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाया गया है ।

11. परिसम्पत्ति की गुणवत्ता तथा निवेश पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन की समीक्षा :

(रु. करोड़ में)

विवरण	बही मूल्य	बाजार मूल्य	आय
शेयर	**641**	**7457**	**528**
शेयरों के अलावा	**4049**	**3947**	**444**
कुल :	**4690**	**11404**	**972**

सभी निवेशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और सम्पत्तियां भा.रि.बैंक के विवेकपूर्ण नियमों के आधार पर निष्पादन योग्य और गैर निष्पादन योग्य के रूप में वर्गीकृत हैं।

12. हम पुष्टि करते हैं कि -

i) वित्तीय विवरण तैयार करने में मूलभूत परिवर्तन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का पालन किया गया है ।

(ii) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियां अपनाई हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की हानि की तथा वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रचालन हानि का सही एवं वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन दिए हैं।

iii) प्रबंधन द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करने के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4)/कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 के 1)/के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव के लिए उपयुक्त तथा समुचित ध्यान रखा गया है ।

iv) प्रबंधन द्वारा गतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया हैं ।

v) प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है ।

13. हम पुष्टि करते हैं कि व्यवसाय की सामान्य अवधि के दौरान किए गए लेनदेन के अलावा ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनियों तथा संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकों का हित हो ।

कृते नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(वी.रामसामी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कोलकाता
28 जुलाई, 2006

v) In respect of loans and debentures, prudential norms regarding provisioning have been followed by the Company.

11. Review of Assets, quality and performance of Investment Portfolio :

(Rs. in crore)

Particulars	Book Value	Market Value	Income
Shares	**641**	**7457**	**528**
Other than Shares	**4049**	**3947**	**444**
TOTAL :	**4690**	**11404**	**972**

All investments are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on RBI Prudential norms.

12. We confirm that :

i) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;

ii) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and loss of the Company for the year;

iii) the management has taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 1956 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;

v) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

13. We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which the Directors of the Company are interested except for the transactions carried out in the ordinary course of business.

For and on behalf of National Insurance Company Limited

(V. Ramasaamy)
Chairman-cum-Managing Director

Kolkata
28th July 2006